



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239361
CG-DL-E-06102022-239361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28 2022/ आश्विन 6, 1944

No. 470]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28 2022/ASVINA 6, 1944

द इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. जी/20—सीडब्ल्यू/9/2022.—लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप धारा 5ख के अनुसरण में, काउंसिल ऑफ़ द इंस्टीट्यूट की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और इस इंस्टीट्यूट के लेखापरीक्षित लेखों को आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

63वीं, वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

द काउंसिल ऑफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ कोस्ट अकाउंटेंट्स और इंडिया को इंस्टीट्यूट के विभागों, समितियों क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों को दर्शाते हुए 63वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

निदेशक और इसके क्रियाकलाप

समितियों/ बोर्डों/ प्रकोष्ठों/ निदेशालयों के क्रियाकलाप

✓ अध्यक्ष का कार्यालय

दिल्ली और कोलकाता स्थित अध्यक्ष का कार्यालय इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की ओर से इंस्टीट्यूट के विभिन्न विभागों और बाहरी एजेंसियों के साथ विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वयन में सुविधा प्रदान करता है। यह क्रियाकलापों के साथ सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समन्वयन में आसानी के लिए अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। विभाग ने विभिन्न प्रकार के कार्य और इंस्टीट्यूट की परिषद के सदस्यों, विगत अध्यक्षों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्य किए हैं।

✓ परीक्षा निदेशालय

देश में कोविड-19 की स्थिति के कारण, मध्यवर्ती और अंतिम परीक्षाओं (केन्द्र - आधारित माध्यम) और फाउंडेशन परीक्षाओं (घर - आधारित माध्यम) के लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गई थी। जून, 2021 की अवधि की फाउंडेशन परीक्षा सितंबर, 2021 में और दिसंबर, 2021 की अवधि की परीक्षा जनवरी, 2022 में आयोजित की गई थी। जून, 2021 और दिसंबर, 2021 की अवधि की इंटरमीडिए और अंतिम परीक्षाएं सम्मिलित रूप से दिसंबर, 2022 में की गई थी। यह परीक्षा 3 विदेशी केन्द्रों सहित 255 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई थी। फाउंडेशन परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 25030 परीक्षार्थी थे और 58,869 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे। परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा

अन्य सभी संबंधित की सक्रिय भागीदारी से सभी परीक्षाओं के परिणाम समय अनुसूची के अनुसार और मानकों के अनुरूप सुचारु रूप से प्रकाशित किए गए थे।

✓ अध्ययन निदेशालय

निदेशालय मुख्य रूप से छात्रों से संबंधित क्रियाकलापों पर ध्यान दे रहा है और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कई क्रियाकलाप हमेशा बेहतर तरीके से करने के लिए प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, इसमें पांच अलग अलग शाखाएं हैं :

- (क) शैक्षणिक
- (ख) प्रशासनिक
- (ग) ऑनलाइन कोचिंग / ई-लर्निंग
- (घ) कौशल प्रशिक्षण
- (ङ) व्यावहारिक प्रशिक्षण

एक ओर डी. ओ. एस. की शैक्षणिक शाखाएं विभिन्न शैक्षणिक मामलों के ज्ञान, समझ, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से छात्रों को कौशल का विकास करने का कार्य प्रदान करती हैं, वहीं डी. ओ. एस. की प्रशासनिक शाखा छात्रों के प्रवेश, कोचिंग, पुनः वैधीकरण, छूट, प्रशिक्षण का संचालन करती है। कुछ क्रियाकलापों का इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से संचालन और उनकी देख रेख की जाती है।

✓ सदस्यता विभाग

सदस्यता विभाग सदस्यों की सुविधा समिति के मार्गनिर्देशन में और सी एम ए पी. राजू अय्यर, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सी एम ए (डॉ. वी. मुरली, अध्यक्ष, सदस्यों की सुविधा समिति की सक्रिय अगुवाई में वर्ष भर सदस्यों को अधिकतर ऑनलाइन माध्यम से सेवा प्रकटन में सुधार करना और बेरोक-टोक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। डिजीलॉकर सुविधा आने से सदस्य पहचान पत्र प्राप्त कर रहे हैं। साप्ताहिक आधार पर सदस्यता प्रदान की जाती है।

विभाग की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- पेशेवर प्रमाण पत्र पुनः शुरू करने के लिए प्रावधान
- सदस्यों द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा शुल्कों / बैंक प्रभारों की माफी
- सदस्यता संख्या के लिए जी एस टी सं. शामिल करने का प्रावधान, और उनकी सदस्यता शुल्क की रसीदों में उनको दर्शाना।
- बिना लॉगिक के सदस्यता शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा शुरू करना
- नियमित आधार पर पेशेवर प्रमाण पत्र प्रदान करने में तेजी लाना
- सदस्यों की सूची और पेशेवर प्रमाण पत्र वाले सदस्यों की सूची प्रकाशित करना
- ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से सदस्यता के सभी क्रियाकलापों के साथ एक निर्बाध डिजिटल अनुभव के लिए निरंतर सुधार करना

✓ जर्नल और प्रकाशन निदेशालय

- निदेशालय द्वारा मासिक जर्नल "द मैनेजमेंट अकाउंटेंट" और तिमाही जर्नल "रिसर्च बुलेटिन" का नियमित आधार पर प्रकाशन किया जाता है।
- अब द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल विश्व भर के 94 देशों में उपलब्ध है और देश के अन्य भागों के लिए भी इसे नियमित आधार पर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल तृतीय पक्षों अर्थात मैग्जटर और रेडक्लेयर के माध्यम से पढ़ने के लिए ऐप पर उपलब्ध है और पढ़ी जाती है तथा निदेशालय इसे अन्य प्लेटफॉर्म मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।
- प्रबंधन लेखाकार को कई दौर के कठिन प्रक्रिया और गुणवत्ता जांच के बाद प्रतिष्ठित "क्वालिटी जर्नल" की यू जी सी – केयर संदर्भ सूचीबद्ध किया गया है।
- विशेष रूप से इस समय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉलम से दक्षता बढ़ाने में मदद, ग्राहक वेल्थ में वृद्धि, जोखिम प्रबंधन तथा साथ ही राजस्व उत्पन्न करने के लिए स्थिर और अद्यतन नेविगेशन अवसरों में भी मदद मिलती है।

✓ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग करके इंस्टीट्यूट के हितधारकों को सेवाएं धीरे-धीरे बेहतर होती जा रही हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट के समस्त विकास में योगदान दे रही है।

- आई टी नीति और प्रक्रिया मैनुअल को अंतिम रूप देना
- सदस्यों और छात्रों के लिए डिजीलॉकर सुविधा
- जी एस टी इनवॉयस बनाने के लिए टेली के साथ ऑनलाइन अनुप्रयोगों को एकीकृत करना
- कोलकता और दिल्ली में नई वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित करना
- अन्य वेब पोर्टलों की रीडिजाइन और विकास
- शिकायत पोर्टल का डिजाइन और विकास

- इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिए आई टी बुलेटिन
- एस एम एस और ईमेल सांख्यिकी
- ✓ व्यावसायिक विकास एवं सी पी डी निदेशालय
- ❖ व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप
 - इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व पर सी एम ए की मान्यता
 - सरकार, पी एस यू, बैंकों और अन्य संगठनों के लिए प्रतिनिधित्व
 - पेशेवरों के लिए यूनिफ़ॉर्म दस्तावेज पहचान सं. (यू डी आई एन)
 - अन्य पेशेवर विकास पहलें
- ❖ सतत व्यावसायिक विकास (सी पी डी) क्रियाकलाप
 - सी पी ओ धारकों के लिए अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी)
 - ऑनलाइन क्रियाकलाप (ई-लर्निंग) अर्थात् वेबिनार और वेबिन्ट
 - पीडी एंड सीपीडी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम और वेबिनार
 - संयुक्त कार्यक्रम
- ❖ लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और सी एम ए पुरस्कार
- ✓ राष्ट्रीय परिषद एवं चैप्टर समन्वयन समिति

समिति को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं :

- मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के बीच अंतराल को पूरा करना
- प्रचालनात्मक क्षमताओं में सुधार लाना
- इंस्टीट्यूट के नियमों और विनियमों की अनुपालना के साथ सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों को प्रोत्साहित करना
- क्रास कटिंग मामलों और साझा चिंता के मामलों के संबंध में मामलों की सक्रिय तौर पर पहचान करना और संयुक्त कार्रवाई में सुविधा प्रदान करना।

समिति के क्रियाकलाप

- नए चैप्टर की स्थापना
- चैप्टर का विलाय
- चैप्टर का नाम परिवर्तन
- वेबिनार
- अन्य क्रियाकलाप
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग
- साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट (साफा)

सी एम ए पी. राजू अय्यर, अध्यक्ष के साथ सी एम ए विजेन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष, सी एम ए (डॉ.) बलविंदर सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं परिषद सदस्य तथा सी एम ए एच. पदमनाभन, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति और अध्यक्ष, साफा पी ए आई बी मिति ने 70वीं साफा बोर्ड बैठक और 94वीं साफा सभा बैठक में भाग लिया, जो कोलम्बो, श्रीलंका में 4 जनवरी, 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ श्रीलंका द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।
- कांफेडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक अकाउंटेंट्स (कापा)

कापा (सी ए पी ए) के सदस्यों की बैठक और ए जी एम दिनांक 24 मई, 2022 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें कापा द्वारा की गई हाल की पहलों पर चर्चा की गई, इसमें सी एम ए पी. राजू अय्यर, अध्यक्ष और सी एम ए विजेन्द्र शर्मा, इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष ने भाग लिया।
- इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आई आई आर सी)

सी एम ए पी. राजू अय्यर, अध्यक्ष के साथ सी एम ए बलविन्दर सिंह, पूर्व अध्यक्ष और काउंसिल ऑफ वेल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन, यू के के लिए इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों ने न्यूयार्क में दिनांक 16 जून, 2022 को आयोजित <आईआर> काउंसिल बैठक में भाग लिया।
- इंटरनेशनल वेबिन्ट का आयोजन सी एम ए एच. पदमनाभन, इंस्टीट्यूट के काउंसिल परिषद की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा किया गया।
- ✓ कैरियर काउंसिलिंग समिति
- काउंसिलिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की दिनांक 28 नवंबर, 2021 को हुई 333वीं बैठक में समिति का गठन किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए कैरियर काउंसिलिंग समिति ने सी एम ए पापा राव सुन्कारा की अध्यक्षता में कार्य किया। कैरियर काउंसिलिंग के महत्व को देखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए एक अलग कैरियर काउंसिलिंग समिति का गठन करना

आवश्यक हो गया, जिसे पहले अध्ययन निदेशालय के ज़रिए प्रशिक्षण, शिक्षा और सुविधा तथा प्लेसमेंट समिति द्वारा किया गया था, जिसकी एक करियर काउंसलिंग विंग है।

- वर्ष 2021-22 के लिए कैरियर काउंसलिंग समिति की सबसे पहली प्रथम बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित की गई। सदस्यों ने विजन, भूमिका और उद्देश्यों को अपनाने का संकल्प लिया, जिसे आवश्यक अनुमोदन के लिए काउंसिल को भेजा गया।
- ✓ एम एस एम ई और स्टार्ट अप के संबंध में कार्यबल
- इंस्टीट्यूट ने दिनांक 28 नवंबर, 2021 को हुई काउंसिल की 333वीं बैठक के दौरान एम एस एम ई सेक्टर और स्टार्ट अप का मार्गदर्शन करने के तौर तरीके तैयार करने के प्रयोजन के लिए एम एस एम ई और स्टार्ट-अप के संबंध में एक कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया। इंस्टीट्यूट के निर्विवाद तथ्य पर विचार करने के बाद की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) क्षेत्र "आत्मनिर्भर भारत" अथवा सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें एम एस एम ई सेक्टर और स्टार्ट अप के लिए सहायता और सुझाव प्रदान करने सहित यथासंभव तरीके से सरकार की पहल में सहयोग की अपेक्षा है। एम एस एम ई और स्टार्ट अप के संबंध में नवगठित कार्यबल की अध्यक्षता सी एम ए चितरंजन चट्टोपाध्याय को सौंपी गई, जो कि इसके पहले अध्यक्ष थे और इसमें कुल अठारह (18) सदस्य शामिल थे।
- ✓ कर अनुसंधान विभाग / कराधान समिति
 - जी एस टी दिवस की पांचवीं वर्षगांठ मनाना
 - विवज़
 - टैक्स बुलेटिन
 - कार्यशालाएं
 - वेबिनार
 - सरकार को प्रतिनिधित्व
 - कराधान हेल्पडेस्क
 - कराधान पाठ्यक्रम

अप्रत्यक्ष कर

- जी एस टी पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- जी एस टी पर उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- कालेज और यूनिवर्सिटी के लिए जी एस टी पाठ्यक्रम
- जी एस टी लेखा परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में उन्नत पाठ्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

प्रत्यक्ष कर

- टी डी एस पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- आयकर विवरणी दाखिल करने के संबंध में प्रमाण पत्र
- आयकर अपील और मूल्यांकन के संबंध में उन्नत पाठ्यक्रम

✓ केट (सी ए टी) निदेशालय

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद केट निदेशालय ने यह सुनिश्चित किया कि केट पाठ्यक्रम के छात्रों और अन्य हितधारकों की चिंताओं, जरूरतों और शंकाओं का ठीक से सौहार्दपूर्ण रूप से सहायता और समाधान किया जाए। सहायता के प्रयोजन से प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना न केवल छात्रों के लिए सहायक रहा बल्कि लंबित कार्यों से भी बचा गया।

क्रियाकलाप :

- कैट परीक्षा
- कैट छात्रों के लिए कैट पाठ्यक्रम भाग-II ऑनलाइन कक्षाएं
- रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ एमओयू
- एससी / एसटी अभ्यर्थियों के लिए कैट पाठ्यक्रम चलाने के लिए परियोजना
- महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (एम जी यू) नलगोंडा के साथ एमओयू
- इंस्टीट्यूट और एम एस एस डी एस के बीच एमओयू
- इंस्टीट्यूट और ए एस ए पी के बीच एमओयू
- भारत के राज्यों में केट पाठ्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव
- कैट छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं

- नए आर ओ सी सी और आर ओ सी सी में कैरियर काउंसलिंग क्रियाकलाप
- वेबिन्ट
- ✓ उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड
 - उन्नत अध्ययन पाठ्यक्रम :
 - ❖ कारोबार मूल्यांकन में कार्यकारी डिप्लोमा
 - ❖ इंजीनियरों के लिए लागत और प्रबंधन लेखांकन में कार्यकारी डिप्लोमा
 - ❖ मध्यस्थता में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
 - ❖ वित्त व्यावसायिकों के लिए डेटा विश्लेषण में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
 - ❖ वित्त व्यावसायिकों के लिए उन्नत बिजनेस एक्सेल
 - ❖ एसएपी एफआईसीओ – पावर यूजर कोर्स
 - ❖ सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखा परीक्षा में डिप्लोमा
 - ❖ फॉरेंसिक लेखा परीक्षा में डिप्लोमा
 - ❖ आंतरिक लेखा परीक्षा में उन्नत प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
 - ऑनलाइन कार्यक्रम/ कार्यशाला
 - ऑनलाइन परीक्षाएं
 - सी एम ए राष्ट्रीय ऑनलाइन व्यवसाय क्विज़ 2021
 - ✓ तकनीकी विभाग (लागत लेखा परीक्षा और सांविधिक अनुपालनाएं)
 - लागत विवरणों के वित्त लागत के उपचार पर परामर्श
 - कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 पर एफ ए क्यू का तीसरा भाग जारी
 - लागत लेखा परीक्षा शाखा को प्रस्तुत करना
 - सदस्यों/ हितधारकों की शंकाओं के लिए तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा उत्तर
 - ✓ लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सी ए एस बी)
 - ✓ लागत लेखा परीक्षा और आश्वासन मान बोर्ड (सी ए ए एस बी)
 - ✓ विशेषज्ञ समीक्षा बोर्ड (पी आर बी)
 - ✓ आंतरिक समिति

जैसा कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पना की गई है, इंस्टीट्यूट की आंतरिक समिति की इस अवधि की वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है :

वर्ष में (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	2
वर्ष में (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) दर्ज की गई और निपटाई गई लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	1

✓ आंतरिक नियंत्रण विभाग

आंतरिक लेखा परीक्षा

विभाग ने 1 करोड़ रु. और उससे अधिक के टर्नओवर वाली चार क्षेत्रीय परिषदों (डब्ल्यू आई आर सी, ई आई आर सी और एन आई आर सी) तथा चार चैप्टरों (बंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जयपुर) के लिए वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) के माध्यम से समन्वय किया है और कार्य का दायरा भी प्रदान किया है तथा ऐसी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक समन्वय किया है।

खरीद प्रस्ताव

विभाग द्वारा मुख्यालय, दिल्ली कार्यालय में विभिन्न विभागों के मूल्य के विभिन्न खरीद प्रस्तावों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के खरीद प्रस्तावों की भी पुनरीक्षा (वेटिंग) की जा रही है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के उत्तर

विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार इंस्टीट्यूट के दोनों मुख्यालयों, चैप्टरों और क्षेत्रों के लिए सी एंड ए जी के अपूर्ण पैरा की अनुपालना में अपेक्षित सहायता सेवाएं भी प्रदान की हैं।

✓ बैंकिंग वित्तीय विकास क्रियाकलाप

- व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप

- माह जनवरी, 2022 में पेंशन माह
- माह जून, 2022 में बीमा माह
- माह जुलाई, 2022 में बैंकिंग माह
- सी एम ए के लिए बैंक ऑफ इंडिया में रिक्तियों के लिए 30 घंटे का अभिमुखी कार्यक्रम
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर कार्यशाला
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
एन आई एस एम के साथ सहयोग करके निवेश प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
बैंकिंग पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम,
राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ सहयोग से सामान्य बीमा पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- व्यावसायिक प्रकाशन
- इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण के संबंध में "एड मेमोयर" का प्रकाशन
- बी एफ एस आई क्रोनिकल के 10वें अंक और दूसरे वार्षिक अंक का प्रकाशन
- दैनिक न्यूज डाइजेस्ट
- सी एम ए को शामिल करने के लिए प्रतिनिधित्व पत्र

✓ उद्योग और प्लेसमेंट समिति में सदस्य

समिति ने विभिन्न उद्योगों को सी एम ए की महत्वपूर्ण भूमिका को साझा करने, प्रसार करने और प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों तथा कार्यक्रम शुरू किए।

1. समिति ने उद्योगों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए, जिन्होंने व्यवसाय में अधिक मूल्यवृद्धि करने के लिए सदस्य भागीदारों के साथ अपना विशेषज्ञ विचारों को साझा किया।
2. समिति द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कई सेमिनार/ वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे :
 - ये कार्यक्रम पेशेवर सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण पहल का हिस्सा थे, जिनके ज्ञान और कौशल में ऐसे आयोजनों के ज़रिए वृद्धि हुई।
 - पूरे देश से जानकार उद्योग विशेषज्ञों को, उद्योगों के विभिन्न परिप्रेक्ष्य और नवीनतम विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में सी एम ए की जरूरत के संबंध में उनके विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
 - कार्यक्रम के लिए पंजीकृत इच्छुक सदस्य भारी मात्रा में एकत्र हुए और अपनी संकल्पनाओं तथा शंकाओं को दूर करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में मूल्यवान चर्चा में सक्रिय भागीदारी की।

✓ प्रबंधन लेखांकन समिति

इंस्टीट्यूट ने हर वर्ष प्रबंधन लेखांकन के संबंध में सेमिनार आयोजित करने के लिए 6 मई के दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन लेखांकन दिवस निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इंस्टीट्यूट द्वारा इस आयोजन का यह पहला वर्ष रहा है और सेमिनार में सतत विकास को इसके केन्द्र में रखते हुए प्रबंधन लेखांकन की विभिन्न उभरती तकनीकों पर चर्चा शामिल थी। पहला दिन प्रबंधन लेखांकन पर था, उसके बाद अगले दिन, 6 और 7 मई, 2022 को मुंबई में कारपोरेट कानूनों पर शिखर सम्मेलन था। दूसरे दिन का कार्यक्रम सी एम ए नीरज डी जोशी, अध्यक्ष के योग्य मार्गनिर्देशन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

✓ कृषि लागत प्रबंधन पर कार्य बल

इंस्टीट्यूट ने किसानों की आय बढ़ाने के तौर-तरीके विकसित करने के प्रयोजन से एक कृषि कार्य बल अर्थात् 'कृषि लागत प्रबंधन पर कार्य बल' का गठन किया है। 'सी एम ए कृषि बुलेटिन' का नियमित अंतराल पर प्रकाशन इस कार्य बल की एक पहल है ताकि अनुसंधाकर्ताओं को किसानों को शिक्षित करने, सशक्त बनाने, सुधार लाने और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कृषि लागत प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान आधारित लेख लिखने और केस अध्ययन करने को प्रोत्साहित किया जा सके।

पहल :

- राष्ट्रीय किसान दिवस
- "कृषि मूल्य श्रृंखला प्रबंधन" पर सी एम ए सम्मेलन
- "कृषि मूल्य श्रृंखला के दौरान लागत को अनुकूल बनाने और अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने" पर सी एम ए – एफ पी ओ संगोष्ठी

✓ पी आर विभाग

पहल :

- सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए इंस्टीट्यूट के अनुरोध और उनका अनुवर्तन
- मीडिया प्रबंधन
- इंस्टीट्यूट की ओर से मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि के रूप में, इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों के लिए वी वी आई पी को आमंत्रित करना

- विभिन्न आयोजनों के लिए मंत्रियों से संदेशों के लिए समन्वयन
- ✓ सार्वजनिक और सरकारी सेवाओं के लिए लागत प्रबंधन पर समिति

दिनांक 28 नवंबर, 2021 को इंस्टीट्यूट की 333वीं काउंसिल बैठक में इंस्टीट्यूट की काउंसिल द्वारा सी एम ए निरंजन मिश्रा, काउंसिल सदस्य की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

समिति का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है :

- प्रत्येक क्षेत्र का एक सुव्यवस्थित और प्रणालीबद्ध तरीके से गहन अध्ययन और विश्लेषण करके, अनुसंधान उन्मुखी जरूरत आधारित फ्रेमवर्क को शामिल करके सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में लागत प्रबंधन के लिए क्षेत्र विशिष्ट माड्यूल विकसित करना।
- विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्रों में संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों को शामिल करना और एक क्षेत्र-विशिष्ट संसाधनों का कोष निर्धारित करना।
- उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग और अनुकूलन करने पर बल देकर मूल्य आधारित प्रशिक्षण माड्यूलों के ज़रिए लागत प्रबंधन पर जागरूकता पैदा करना।
- संबंधित हितधारकों, नीति और कानून निर्माताओं को प्रस्तुत करने के लिए मैनुअल, मार्गदर्शन नोट, संकल्पना पत्र आदि तैयार करना।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया परिषद

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य मत

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया ('इंस्टीट्यूट') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के एक सार सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं (इसके बाद इसे 'वित्तीय विवरण' के रूप में कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य मत पैरा के लिए आधार में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार, पूर्ण रूप से तैयार किए गए संलग्न वित्तीय विवरणों, दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति, उसके वित्तीय कार्य निष्पादन और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार एक सही और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य मत के लिए आधार

1. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया है :

क) द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल (ई आई आर एस) ने ई आई आर सी भवन के भूतल पर स्थित एस बी आई, हरीश मुखर्जी रोड ब्रांच के साथ 5 साल तक की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से किराए का एक एग्रीमेंट किया था। उसके बाद, ई आई आर सी ने इनवॉयस तैयार किए थे और अप्रैल, 2021 से अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए 1,60,000 रु. प्रति माह की दर पर किराया प्राप्त किया। इंस्टीट्यूट के सचिव (परिषद के सचिव) द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, ई आई आर सी ने किराए के लिए न तो कोई इनवॉयस जारी किया और न ही सितम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एस बी आई से कोई राशि वसूली। अतः 11,20,000/- रु. का कम राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, अप्रैल, 2021 से अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए, एस बी आई द्वारा जी एस टी राशि जमा नहीं की गई है और उसे विविध देनदार खाते में दर्शाया गया है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सचिव ने पत्र में संगत करार (एग्रीमेंट) को असमान्य बताया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (iii) (ख) देखें)।

ख) कुल व्यापार प्राप्य राशि में से 10,57,185/- रु. तीन वर्षों से भी अधिक पुरानी है, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग) अन्य अग्रिम की 13,07,101/- रु. की राशि काफी लंबे समय से बहियों में पड़ी है, जिसके लिए कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

घ) 74,28,100/- रु. की व्यय राशि के लिए अनिर्धारित देनदारी बहियों में पड़ी है।

ड.) पी एफ के लिए 56,672/- रु. की कर्मचारी अंशदान की राशि भी काफी समय से बहियों में पड़ी है।

2. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एन आई आर सी) ने अपनाए न गए वित्तीय विवरणों पर इंस्टीट्यूट के वित्तीय विवरणों को समेकित करने के लिए विचार किया गया है।

3. द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एन आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा बताया गया है और लेखा टिप्पणियों से भी स्पष्ट है :

- क) एन आई आर सी चैप्टरों की 7,91,703/— रु. की धनराशि की पुष्टि, पुनर्मिलाप न होने और धनराशि की वसूली लंबित रहने के कारण, हम वास्तविक वसूलनीय धनराशि का पता लगाने में असमर्थ हैं और इसीलिए लेखा परीक्षाधीन अवधि के लिए एन आई आर सी के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (क) देखें)।
- ख) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति योग्य और भुगतान योग्य धनराशि के शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पुष्टि प्राप्त होने पर प्रकटन के प्रभाव, यदि कोई हो, पर इस समय टिप्पणी नहीं की जा सकती है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (क) देखें)।
- ग) कैरियर काउंसिलिंग (76,171/— रु.) और विज्ञापन (50,000/— रु.) के लिए मुख्यालय से 1,26,171/— रु. का प्रावधान न होने को वसूलनीय बताया गया है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और यह काफी लंबे समय से वसूली के लिए लंबित वसूली है। इसके कारण 1,26,171/— रु. की आय अधिक बताई गई है और इस राशि से वर्तमान राशियां (मुख्यालय वसूलनीय) अधिक हो गई है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (ग) देखें)।

4. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास 'चालू लेखाओं' के तहत 20,41,09,425/— रु. (निवल जमा की बिना मिलान की गई शेष राशि है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 9 देखें)।

हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एस ए) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षणों की जिम्मेदारी में विनिर्दिष्ट की गई है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार इंस्टीट्यूट के स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं : —

क) पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यू आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक ने सूचित किया है और साथ ही लेखों के नोट से भी स्पष्ट है : —

- i) एफ डी ए पी एल से 67,30,000/— की प्राप्य राशि का दावा पक्षकार द्वारा विवादित है, जो परिषद द्वारा पूरी तरह से वसूलनीय माना गया है। इसी प्रकार, 67,30,000/— का संदिग्ध दावा — एफ डी ए पी एल, वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया गया है, जिसके लिए डब्ल्यू आई आर सी को पक्षकार से, भुगतान के लिए अनुस्मारक प्राप्त हुए हैं (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (ii) (क) देखें)।
- ii) भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एल आई सी आई) द्वारा 31.03.2022 को ग्रेच्युटी की देनदारी का वास्तविक मूल्यांकन न किए जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एल आई सी आई) को प्रीमियम के लिए वास्तविक भुगतान और ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के कारण देनदारी बढ़ने के कारण अतिरिक्त अंशदान के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया गया है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (ii) (ग) देखें)।
- iii) डब्ल्यू आई आर सी द्वारा संबंधित पक्षकारों के लिए प्राप्त राशियों, ऋणों एवं अग्रिम राशियों तथा व्यापार प्राप्य राशियों इत्यादि के संबंध में लेखाओं की शेष राशियों की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए गए हैं लेकिन शेष राशियां पुष्टि के अध्वधीन हैं। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (ii) (घ) देखें)।

ख) उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एन आई आर सी) के संबंध में जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों से भी स्पष्ट है :

- i) पिछले वर्षों 2016-17 से 2020-21 के लिए 13,25,640/— रु. की राशि मुख्यालय को टी डी एस जमा के रूप में अंतरित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है और मुख्यालय से वसूलनीय दिखाई गई है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (घ) देखें)।
- ii) 1,57,285/— रु. के टी डी एस की लंबित मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कि लंबे समय से लंबित है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (ङ) देखें)।

ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पुरानी शेष राशि) : 4,99,78,350 रुपए

उपरोक्त में पुराने पूंजीगत कार्य प्रगति पर की शेष राशि (सी डब्ल्यू आई पी) दर्शाई गई है, जिसके संबंध में इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत ही लंबी समय अवधि के लिए (5 वर्षों से अधिक के लिए) आगे कोई कार्य नहीं किया गया/ शुरू किया गया है। मुख्यालय की खाता बहियों में दर्शाई गई ऐसी अचल पुरानी सी डब्ल्यू आई पी शेष राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	धनराशि (रु.)	कब से लंबित/ अभियुक्ति
नवी मुम्बई उत्कृष्टता केन्द्र	4,99,78,350	दिनांक 13 जुलाई, 2016 को अंतिम राशि 5,24,750/- रुपए भुगतान की गई थी और 17 अगस्त, 2016 को गुलराज कंस्ट्रक्शन को 22,400/- रुपए का भुगतान किया गया। तथापि, आर्बिट्रेशन याचिका (एस टी) 7232/2017 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष वाद लंबित है।
कुल	4,99,78,350	

- घ) इंस्टीट्यूट के पास मुख्यालय की बहियों में 4,99,664/- रु. (क्रेडिट) की 'गैर-विशिष्ट' में पुरानी राशि बकाया है। धनराशि की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 10 देखें)।
- ड.) व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम तथा व्यापार भुगतान आदि की वर्ष के अंत में शेष राशि संबंधित पक्षकारों से शेष की पुष्टि किए जाने के अध्वधीन है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 14 देखें)।
- च.) निम्नलिखित चैप्टरों के संबंध में, फ्रीहोल्ड/ लीजहोल्ड भूमि का स्वामित्व विलेख/ पट्टा विलेख अभी तक 'इंस्टीट्यूट' के नाम हस्तांतरित नहीं किया गया है :

नासिक, ओझार, नागपुर, इंदोर, देवास, बिलासपुर, विशाखापट्टनम, भोपाल, भिलाई, लखनऊ, कोटा, सेरमपुर, रांची और भुवनेश्वर।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

इंस्टीट्यूट का प्रबंधन, लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इन्हें पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करने तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जैसा प्रबंधन आवश्यक समझे, ताकि ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार किया जा सके, जो गलत बयानों से मुक्त हो, चाहे वे धोखाधड़ी से अथवा चूक से किए गए हों।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने में इंस्टीट्यूट की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इंस्टीट्यूट का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्कसंगत विकल्प न हो।

प्रबंधन इंस्टीट्यूट की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से युक्त हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं और लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन ऐसा उच्चस्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा यदि कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी मौजूद हो तो उसका हमेशा पता लगा लेती है। गलत बयानी, धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती है और वह महत्वपूर्ण समझी जाती है, यदि अलग अलग अथवा समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी तर्कसंगत संभावना हो सकती है।

लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाकर रखते हैं। साथ ही, हम :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण से हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया का निष्पादन करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, जो धोखाधड़ी से है, चूक के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से भी अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रिया करने के लिए जानकारी प्राप्त करना जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो लेकिन इंस्टीट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की वैसी प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और लेखांकन अनुमानों का तर्कसंगत होना और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण करना।
- प्रबंधन द्वारा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर समुचित उपयोग करने के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी परिस्थितियों अथवा स्थितियों के संबंध में अनिश्चितता मौजूद है, जिससे एक लाभकारी संस्था के रूप में इंस्टीट्यूट द्वारा कार्य करना जारी रखने की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक पर्याप्त अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संगत प्रकटीकरणों के लिए हमारी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना अपेक्षित होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो हमें अपनी राय को बदलना है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर

आधारित है। तथापि, भविष्य की परिस्थितियाँ अथवा स्थितियाँ इंस्टीट्यूट को लाभकारी संस्था के रूप में जारी न रखने के कारण हो सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरणों के अंश का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण शामिल है और क्या वित्तीय विवरणों में विशिष्ट लेन देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वह उचित प्रस्तुति है।

हम शासन से जुड़े अन्य मामलों के बीच लेखा परीक्षा की योजना के दायरे और लेखा परीक्षा के कार्यक्रम और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है।

अन्य मामले

- 1 (क) हमने चार क्षेत्रीय परिषदों (एन आई आर सी ने अपनाए न गए वित्तीय विवरणों सहित) तथा छियानवे चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी जिनके वित्तीय विवरणों में 2,07,15,02,383/- रु. की कुल परिसंपत्तियाँ और वित्तीय विवरणों के अनुसार 3,37,91,965/- रु. का कुल राजस्व दर्शाया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और इन अधिकांश चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के विनियम 133 के अनुसार और इंस्टीट्यूट, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, के चैप्टर उप नियमों के क्लॉज 26 के अनुसार चैप्टरों के शासी निकायों द्वारा नियुक्त लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन के संबंध में है और हमारी राय, जहां तक इन उपरोक्त परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशि और प्रकटन के संबंध में है, क्रमशः अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों की रिपोर्ट पर ही आधारित है।
- (ख) हमने यहां एक चैप्टर के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, और जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित करके हमें प्रस्तुत किए गए हैं तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन चैप्टरों में शामिल की गई धनराशि और प्रकटन के संबंध में है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, इंस्टीट्यूट के समग्र वित्तीय विवरणों के प्रसंग में महत्वपूर्ण नहीं है।
- (ग) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के उन्नीस चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी और कोई भी वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
- (घ) इंस्टीट्यूट के इस वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में इकहत्तर चैप्टर शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी।

उपरोक्त वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाओं, जैसा भी मामला हो, की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में उपरोक्त मामलों पर संशोधित नहीं की गई है।

2. एन आई आर सी के संबंध में, जैसा कि लेखाओं की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है : -

- (क) मंदिर मार्ग, दिल्ली में पड़ी नियत संपत्तियों का सत्यापन विवाद के कारण संभव नहीं था और मामला पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीन था। इन संपत्तियों की हानि के लिए समय सीमा के अनुसार मूल्यहास शुल्कों के अलावा, मंदिर मार्ग, दिल्ली परिसर में पड़ी नियत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (वित्तीय विवरणों के की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (च) देखें)।
- (ख) जनवरी, 2012 से आई सी डब्ल्यू ए का नाम आई सी ए आई हो गया था। सावधि जमा रिकार्ड में आई सी डब्ल्यू ए आई से आई सी ए आई (एन आई आर सी) नाम बदलने के लिए कई अनुस्मारकों के बाद भी कोई आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (छ) देखें)।

3. जयपुर चैप्टर के संबंध में, जैसा कि चैप्टर के लेखापरिक्षक ने सूचित किया है, 14,353/- रु. का ऋण व अग्रिम हवाई और रेल किराए में अंतर के संबंध में सदस्य से अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे मुख्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय लागत सम्मेलन के लिए यात्रा हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

4. निवेश (जो इंस्टीट्यूट के नाम से धारित नहीं है) -

- (क) आई सी ए आई की दिवाला पेशेवर एजेंसी में निवेशों में 10 रु. प्रत्येक के 6 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम से धारित नहीं हैं बल्कि आई सी ए आई के नामितियों के नामों से हैं।
- (ख) आई सी एम ए में निवेश - पंजीकरण मूल्यांकनकर्ता संगठन में 10 रु. प्रत्येक का एक शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम से धारित नहीं है, बल्कि आई सी ए आई के नामितियों के नामों से है।

5. दिल्ली कार्यालय सहित मुख्यालय की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है लेकिन चरणबद्ध सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार विगत वर्ष में सत्यापन किया गया था और इसकी वास्तविक गणना में जटिलता और परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए इसे उचित पाया गया है।

6. मुख्यालय के संबंध में, आई डी बी आई संवितरण खाता सं. 1270102000001281 (एस्प्लेनेड ब्रांच) के बैंक मिलान विवरण में शेष आंकड़ों के रूप में बिना विवरण के अगले माह में जमा के रूप में 7,28,416.04 रु. की राशि शामिल है।

7. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखापरिक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियों से भी स्पष्ट है, दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 6,46,295/- रु. का टी डी एस प्राप्य है, जो की वास्तविक टी डी एस प्रमाण पत्रों के साथ साथ आय के पोर्टल से विभाग में वास्तविक जमा के संदर्भ में पूर्ण मिलान किए जाने के अधधीन है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 8 (iv) (ड) देखें)।

8. मुख्यालय की बहियों के अनुसार अन्य अग्रिम में, एम सी ए, भारत सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण पूर्व परिषद सदस्यों से बकाया 1,36,097 /— रु. शामिल हैं और वर्तमान में न्यायाधीन है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 6 देखें)।

अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

उपरोक्त पैरा में हमारी सिफारिशों के अलावा हम यह रिपोर्ट करते हैं कि : —

- क. *यहां उपरोक्त योग्य राय पैरा के लिए आधार में विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावों के अलावा*, हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, कुछ छोटे चैप्टरों को छोड़कर, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- ख. *योग्य राय पैरा के लिए यहां ऊपर आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों के अलावा*, हमारी राय में लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियों को इंस्टीट्यूट द्वारा रखा गया है, जो उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त रिटर्न *अन्य मामलों के पैरा 1 के साथ पठित* ऐसे क्षेत्रों और चैप्टरों से प्राप्त हुए हैं।
- ग. इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट की संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया है।
- घ. इंस्टीट्यूट का तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा बहियों के अनुसार है।

कृते, रे एंड रे

चाटर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण सं. 301072ई)

स्थान : कोलकता,

दिनांक : 11 सितंबर, 2022

(आशीष कुमार मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्य सं. 056359

(यू डी आई एन 22056359एसओटीआईएच2700)

कौशिक बैनर्जी, सचिव

[ADVT.III/4/असा./292/2022-23

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया				
दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र				
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
			रु.	रु.
	निधियों के स्रोत			
	इंस्टीट्यूट निधि :			
3,528,660,115	सामान्य निधि	(1)		3,898,048,503
1,270,179	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		1,296,391
11,935,319	विविध पुरस्कार निधि	(3)		12,419,397
50,457,717	अन्य निधि	(4)		50,358,461
385,611,482	अन्य देयताएं	(5)		660,397,676
16,381,951	प्रावधान	(6)		18,193,871
3,994,316,763	कुल			4,640,714,299
	निधियों का उपयोग			
	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
629,876,902	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	(7)	638,602,275	638,602,275
1,156,523	ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	(7)	877,286	877,286
64,400,406	पूँजीगत कार्य प्रगति पर			61,647,997
111,151,147	निवेश	(8)		111,151,147

	चालू परिसंपत्तियां			
9,215,300	वस्तु सूचियां	(9)	6,541,171	
127,600,355	व्यापार प्राप्य राशि	(10)	146,562,241	
2,964,339,929	नकदी और नकदी समतुल्य	(11)	3,623,496,715	
86,576,201	ऋण और अग्रिम राशियां	(12)	51,835,467	
				3,828,435,594
3,187,731,785				
3,994,316,763	कुल			4,640,714,299
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां	(20)		
संलग्न टिप्पणियां 1-20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं				

यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है।

कृते रे एंड रे

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. : 301072ई

सीएमए अर्नब चक्रवर्ती

सीएमए कौशिक बनजी

निदेशक – वित्त

सचिव

आशीष कुमार मुखोपाध्याय

सीएमए विजेन्द्र शर्मा

सीएमए पी राजू अय्यर

भागीदार

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सदस्यता सं. : 056359

स्थान : कोलकाता

दिनांक:

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय का विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.			रु.
	आय :		
41,492,244	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	(13)	51,875,687
801,488,797	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	(14)	1,317,886,952
157,093,010	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(15)	183,470,371
2,586,999	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		5,644,459
304,020	विज्ञापन सहित पत्रिका का अंशदान		306,651
76,345	प्रकाशन की बिक्री		571,934
167,704,452	ब्याज		172,795,107
6,882,627	अन्य आय		5,510,701
1,177,628,494	कुल:		1,738,061,862
	व्यय:		
295,083,924	स्थापना व्यय	(16)	309,478,981
132,352,795	कार्यालय व्यय	(17)	126,731,451
1,842,372	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (टिप्पणी :7)		1,974,216
5,784,498	यात्रा एवं वाहन		9,610,735
89,625,246	परीक्षा व्यय	(18)	298,326,542
10,455,464	परिषद् एवं समिति की बैठकों का व्यय		22,123,043
102,587	ट्रिब्यूनल सहित चुनाव का खर्च		-
8,003,945	पत्रिका व्यय		9,708,968
9,180,183	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		10,495,091

22,036	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		-
4,499,886	सी. पी. डी. तकनीकी कौशल विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय	(19)	11,016,662
2,738,377	व्यावसायिक विकास व्यय		4,601,916
239,669,959	कोचिंग व्यय		382,461,999
48,858,662	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणी की खपत		53,872,549
877,604	प्रकाशन स्टॉक की खपत		762,568
865,573	वस्तु सूचियां और अशोध्य ऋण बट्टे खाता		4,638,467
-	एम बी एफ में भागीदारी		9,315,346
52,139,398	मूल्यहास और परिशोधन		48,848,828
25,799,000	पी एम केयर्स फंड में दान		-
927,901,509	कुल		1,303,967,362
249,726,985	व्यय से अधिक आय होने के कारण शेष राशि		434,094,500
11,909,239	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	(19क)	18,179,441
237,817,746	सरप्लस शेष रहने पर सामान्य निधि में अंतरित		415,915,059
संलग्न टिप्पणियां 1-20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं		(20)	
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित आय और व्यय विवरण है।			
कृते रे एंड रे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. : 301072 ई सीएमए अर्नब चक्रवर्ती निदेशक - वित्त सीएमए कौशिक बनर्जी सचिव आशीष कुमार मुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता सं. : 056359 सीएमए विजेन्द्र शर्मा उपाध्यक्ष सीएमए पी राजू अय्यर अध्यक्ष स्थान : कोलकता दिनांक :			

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण			
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.	रु.
	क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
237,817,746	कराधन से पूर्व अधिशेष एवं असाधारण मद	415,915,059	
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
52,139,398	मूल्यहास और परिशोधन	48,848,828	
289,957,144	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष	464,763,887	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजन		
17,603,513	चालू देनदारियों में वृद्धि/ (कमी)	276,598,114	
(11,907,556)	चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	18,452,977	
5,695,957		295,051,091	
295,653,101	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)		759,814,978
	ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
36,467,761	सी डब्ल्यू आई पी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में परिवर्तन	(5,693,727)	

(397)	निवेश में कमी		
36,467,364	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी (ख)		(5,693,727)
	ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
(37,155,451)	निधि शेष में परिवर्तन	(94,964,465)	
(37,155,451)	वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी (ग)		(94,964,465)
294,965,014	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		659,156,786
2,669,374,915	जोड़ें – अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		2,964,339,929
2,964,339,929	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		3,623,496,715
	टिप्पणियां :-		
	i. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण, 'नकदी प्रवाह विवरण' के संबंध में लेखांकन मानक ए एस: - 3 में यथानिर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है।		
	ii. नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल है :		
1,213,355	हाथ में नकदी	1,236,250	
184,614,031	बैंक में शेष : चालू खाता	241,208,610	
82,996,593	बैंक में शेष : बचत खाता	110,758,360	
2,695,515,950	सांविधि जमा	3,270,293,495	
2,964,339,929		3,623,496,715	
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित नकद प्रवाह विवरण है।			
कृते रे एंड रे			
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
फर्म पंजीकरण सं. : 301072 ई			
		सीएमए अर्नब चक्रवर्ती	सीएमए कौशिक बनर्जी
		निदेशक – वित्त	सचिव
आशीष कुमार मुखोपाध्याय		सीएमए विजेन्द्र शर्मा	सीएमए पी राजू अय्यर
भागीदार		उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
सदस्यता सं. : 056359			
स्थान : कोलकता दिनांक :			

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)		
टिप्पणी सं. .1 : सामान्य निधि		
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
3,288,267,556	विगत लेखाओं के अनुसार शेष	3,528,660,115
	जोड़े :	
6,001,602	i) चेष्टर की भूमि और भवन का पूंजीकरण	-
3,294,269,158		3,528,660,115
3,294,269,158		3,528,660,115
6,001,602	घटाएं – हैदराबाद भवन के लिए समायोजन	-
-	घटाएं – सदस्यों की हितकारी निधि में अंतरण (टिप्पणी – 11)	50,000,000
240,000	घटाएं – ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण	-

2,814,813	जोड़े : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	3,473,329
3,290,842,369		3,482,133,444
237,817,746	जोड़े : संलग्न आय और व्यय विवरण के अनुसार वर्ष के लिए अधिशेष	415,915,059
3,528,660,115	कुल	3,898,048,503

टिप्पणी सं. 2 :
कर्मचारी उपदान निधि

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
1,361,970	विगत लेखा के अनुसार शेष	1,270,179
1,885,132	जोड़े : वर्ष के लिए अंशदान	-
3,247,102		1,270,179
43,910	जोड़े : वर्ष के लिए निधि की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	26,212
2,005,763	घटाएं : किया गया भुगतान	-
15,070	घटाएं : वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी निधि में अंतरित	-
1,270,179		1,296,391

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पण सं. 3
विविध पुरस्कार निधि

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
10,590,087	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	11,935,319
1,096,918	जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	50,532
306,653	जोड़े : वर्ष के दौरान हुई आय	500,721
(58,339)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(67,175)
11,935,319		12,419,397

टिप्पणी सं. 4 :
अन्य निधि

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
545,277	भवन निधि	3,648,862
3,459,322	पुस्तकालय निधि	1,037,929
46,453,118	विविध निधि	45,671,670
50,457,717		50,358,461

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 5 :
वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.

3,253,256	लाइब्रेरी जमा	1,647,884
52,934,912	व्यापार प्राप्य राशि	63,862,927
155,530,383	क्षेत्रीय परिषदों एवं चैप्टरों के पास चालू खाता	204,109,425
168,369,569	अन्य देनदारियां	330,514,277
1,870	सदस्यों की हितकारी निधि को भुगतान (टिप्पणी – 11)	50,067,500
5,521,492	टी डी एस भुगतान	10,195,663
385,611,482	कुल	660,397,676

टिप्पणी सं. 6 :

प्रावधान

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
16,381,951	प्रावधान	18,193,871
16,381,951	कुल	18,193,871

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरण के भाग स्वरूप टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 7

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर एवं अमूर्त परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का विवरण	सं. 01.04.2021 को प्रारंभिक लागत				मूल्य				31.03.2022 के अनुसार	
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर										
ग्रीहोल्ड	160,793,820	37,771,668		198,565,488	-	-		-	198,565,488	160,793,820
लोज	64,763,988		(279,487)	64,484,501	9,685,956	832,057	-	10,518,013	53,966,488	55,078,032
ग्रीहोल्ड	710,284,247	12,040,484	(261,310)	722,063,421	387,204,334	32,972,544	(189,	419,987,352	302,076,069	323,079,913
फर्नीचर	86,011,183	4,413,441		90,424,624	46,174,825	4,184,352	1,015,	51,375,083	39,049,541	39,836,358
पुस्तकाल	12,003,814	298,386		12,302,200	11,395,032	286,791	148,	11,830,698	471,502	608,782
कार्यालय	95,777,866	3,329,831		99,107,697	62,574,297	5,390,798	942,	68,907,541	30,200,156	33,203,569
जेनरेटर्स	16,066,145		(7,582)	16,058,563	10,532,967	835,324	33,	11,402,165	4,656,398	5,533,178
लिफ्ट	14,163,133	5,316		14,168,449	9,284,154	732,644		10,016,798	4,151,651	4,878,979
मोटर	500,621		(3,682)	496,939	453,381	7,086	(3,	456,785	40,154	47,240
कंप्यूटर	62,206,806	3,471,873		65,678,679	55,389,775	3,124,584	1,739,	60,253,851	5,424,828	6,817,031
साइकिल	8,368			8,368	8,368	-	-	8,368	-	-
कुल क	222,579,991	61,330,999	(552,061)	283,358,929	592,703,089	48,366,180	3,687,	644,756,65	638,602,275	629,876,902
ख. अमूर्त										
सॉफ्टवेयर	41,933,074	223,906		42,156,980	40,776,551	482,648	20,	41,279,69	877,286	1,156,523
कुल ख	41,933,074	223,906	-	42,156,980	40,776,551	482,648	20,	41,279,69	877,286	1,156,523
सकल	1,264,51	61,554,905	(552,061)	325,515,909	633,479,640	48,848,828	3,707,880	686,036,348	639,479,561	631,033,425
विगत	1,253,76	13,547,704	(2,488,626)	1,264,513,	586,813,742	52,139,398	(5,473,500)	633,479,640	631,033,425	
पंजीगत कार्य प्रगति पर	64,400,406	7,388,134		10,140,543	61,647,99	61,647,997	64,400,406			

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 8 :

गैर-उद्धृत निवेश (लागत पर)

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
रु.		रु.
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	10 रु. प्रत्येक के 50 शेयर (विगत वर्ष 50 शेयर)	500
	रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई (पूर्व में जय बृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बाम्बे के रूप में वर्णित)	
110,000,000	आई सी ए आई की दिवालिया व्यवसायिक एजेंसी में निवेश	110,000,000
1,100,000	(10 रु. प्रत्येक के प्रदत्त शेयर की संख्या 1,10,00,000)	1,100,000
	आई सी एम ए : पंजीकृत मूल्यांकक संगठन में 1,10,000 (विगत वर्ष 1,10,000) निवेश	
50,647	- अन्य	50,647
111,151,147		111,151,147

टिप्पणी सं. 9 :

वस्तुसूचियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
2,648,183	- प्रकाशन स्टॉक		2,131,267
5,765	- पेपर स्टॉक		-
5,079,538	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री		2,519,016
1,481,814	- अन्य सामग्री का स्टॉक		1,890,888
9,215,300			6,541,171

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 10 :

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां
(अप्रतिभूतित, अच्छी मानी गई)

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
30,411,085	व्यापार प्राप्य राशि		25,830,381
97,189,270	अन्य प्राप्य राशि		120,731,860
127,600,355			146,562,241

टिप्पणी सं. 11 :

नकदी और नकदी समतुल्य

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
रु.		रु.	रु.
	नकदी और नकदी समतुल्य :		
1,213,355	नकदी हाथ में		1,236,250

	अनुसूचित बैंकों के पास शेष :		
184,614,031	चालू खाते में		241,208,610
82,996,593	बचत खाते में		110,758,360
2,695,515,950	बैंकों के पास सावधि जमा :		3,270,293,495
2,964,339,929			3,623,496,715

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 12 :
ऋण और अग्रिम राशियां
(अप्रतिभूतित, अच्छी मानी गई)

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रु.	विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार रु.
19,097,163	अन्य अग्रिम राशियां	14,494,099
615,295	कर्मचारियों को त्र्यौहार अग्रिम	434,903
40,525,592	टी डी एस प्राप्य राशि	28,600,815
20,225,669	पूर्व प्रदत्त खर्च	1,699,384
6,112,482	जमा	6,606,266
86,576,201		51,835,467

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 13 :
सदस्यता और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु.
32,485,201	वार्षिक सदस्यता शुल्क	42,611,984
8,712,905	सदस्यों का पेशेवर प्रमाण पत्र शुल्क	8,934,180
74,070	सदस्यों की शिकायत / बहाली शुल्क / नामांकन शुल्क	34,500
191,103	सदस्यता और प्रमाण पत्र शुल्क – आई एम ए (यू एस ए)	248,636
28,965	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	46,387
41,492,244		51,875,687

टिप्पणी सं. 14 :
शिक्षण और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु.
39,332,295	छात्र पंजीकरण शुल्क	24,962,200
240,000	व्यावहारिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	2,548,750
4,225,000	व्यावहारिक प्रशिक्षण / विषय छूट शुल्क	16,110,000

716,001,424	शिक्षण शुल्क	1,214,006,134
34,702,200	कैट कोर्स आय	55,115,220
1,865,000	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	2,234,040
1,074,918	विवरणिका की बिक्री	2,547,893
4,047,460	अध्ययन नोट्स की बिक्री	362,715
500	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्मों की बिक्री	-
801,488,797		1,317,886,952

टिप्पणी सं. 15 :

परीक्षा और अन्य शुल्क :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
157,093,010	परीक्षा शुल्क	181,028,921
-	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	2,441,450
157,093,010	कुल	183,470,371

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 16 :

स्थापना व्यय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
252,018,346	वेतन और भत्ते	263,865,987
3,288,945	कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	5,222,872
23,858,818	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	23,191,309
1,600	कर्मचारी हितकारी निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	1,692
2,214,569	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के लिए नियोक्ता का अंशदान	4,614,778
3,309,753	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण—विद्यमान	2,672,212
7,444,220	चिकित्सा व्यय	7,357,032
519,767	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	601,693
1,371,347	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	1,643,425
1,056,559	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	307,981
295,083,924		309,478,981

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 17 :

कार्यालय व्यय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
5,208,198	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5,916,138
6,613,269	डाक, तार, दूरभाष और फैंक्स	6,064,355
1,370,599	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,849,910
6,211,070	विद्युत प्रभार	7,773,294
108,920	जनेरेटर व्यय	309,757
1,589,984	दरें और कर	2,865,168
461,739	बीमा	320,933
9,295,187	मरम्मत और रख-रखाव	14,049,949
940,310	कार व्यय	1,041,444
7,820	जमानती जमा राशि पर ब्याज	8,530
12,023,159	विधिक प्रभार	9,895,898
325,730	बैंक प्रभार	563,268
9,513,470	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	5,707,808
1,652,660	जन संपर्क व्यय	2,107,604
3,130,829	देखरेख संबंधी व्यय	3,305,567
403,552	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	446,685
1,287	प्रतिनिधि शुल्क	54,979
456,500	राजपत्र अधिसूचना	180,000
1,272,468	कर्मचारी कल्याण	1,747,931
8,386,325	किराया	8,060,329
57,588,032	प्रशासनिक प्रभार	49,142,746
5,791,687	विविध व्यय	5,319,158
132,352,795		126,731,451

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 18 :

परीक्षा व्यय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
14,984,419	परीक्षा व्यय	11,066,016
25,903,246	परीक्षक का पारिश्रमिक	38,375,930
47,202,834	परीक्षा केन्द्र व्यय	246,666,852
1,319,302	मौखिक कोचिंग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व्यय	828,746
215,445	पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण व्यय	1,388,998
89,625,246		298,326,542

टिप्पणी सं. 19 :

सी पी डी कार्यक्रम व्यय एवं तकनीकी कौशल

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
290,574	सीपीडी व्यय	161,847
186,517	परियोजना व्यय	-
100,000	सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार सहित राष्ट्रीय पुरस्कार	151,898
560,485	क्षेत्रीय लागत/राष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	3,618,192
2,699,977	सीपीडी व्यय- आरसी/चैप्टर	5,401,208
662,333	तकनीकी कौशल विकास	1,683,517
4,499,886		11,016,662

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 19क :

अवधि पूर्व समायोजन

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रु.		रु.
	अवधि पूर्व आय	
-	मुख्यालय	123,930
117,281	ई आई आर सी	327,026
-	एन आई आर सी	455,528
233,760	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	329,000
218,900	एस आई आर सी के चैप्टर	179,671
370,150	एन आई आर सी के चैप्टर	62,163
940,091	कुल (क)	1,477,318
	अवधि पूर्व व्यय	
12,313,836	मुख्यालय	9,483,394
81,521	डब्ल्यू आई आर सी	7,613,745
97,622	ई आई आर सी	3,100
163,014	एन आई आर सी	992,910
68,237	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	1,383,484
163,100	एस आई आर सी के चैप्टर	141,679
-	ई आई आर सी के चैप्टर	17,733
(38,000)	एन आई आर सी के चैप्टर	20,714
12,849,330	कुल (ख)	19,656,759
11,909,239	अवधि पूर्व समायोजन (निवल) (क-ख)	18,179,441

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी - 20

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः सहमत लेखांकन सिद्धांतों, लागू लेखांकन मानकों और लागत तथा संकर्म लेखांकार अधिनियम, 1959 के यथासंशोधित संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को लाभकारी संस्था के संबंध में ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और जब तक अन्यथा न कहा गया हो, वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है।

समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकाता), नई दिल्ली कार्यालय, इसकी क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों के वित्तीय विवरणों को समस्त प्रमुख इन्ट्रा-ग्रुप शेयर, इन्ट्रा-ग्रुप लेन-देनों और परिणामी अप्राप्त सरप्लस/ (घाटे) को निकालकर परिसंपत्तियों और देयताओं की समान मदों को पूर्ण रूप से शामिल करके समेकित किया गया है। अपेक्षानुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वर्ष के लिए सूचित की गई परिसंपत्तियों और देयताओं तथा सूचित की गई आय और व्यय की राशि में आकलन और अनुमान करने अपेक्षित होते हैं। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत होते हैं। जिस अवधियों में परिणाम की जानकारी मिलती है/ कार्यान्वित किए जाते हैं, उस अवधि में वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अनुमान और अंतर से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व मान्यता

प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को सामान्य निधि में जमा किया गया है।

पंजीकरण शुल्क

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को छात्र का पंजीकरण होते ही राजस्व आय के रूप में मान्य किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

राजस्व मान्यता

इंस्टीट्यूट निम्नलिखित के आधार पर आय की महत्वपूर्ण मदों का मान्य करता है : –

क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यता अंशदान को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से ये संबंधित है।

ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

छात्रों के पंजीयन के साथ ही पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में मान्य किया जाता है।

ग) प्रकाशन की बिक्री

जब प्रकाशनों को किसी उपयोक्ता को किसी कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है, तो ऐसे प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क को ऐसी संबंधित अवधियों के लिए मान्य किया जाता है, जिस अवधि से ये संबंधित है।

ङ) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से राजस्व को ऐसे क्रियाकलाप करने पर मान्य किया जाता है।

च) ब्याज

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में समान आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।

छ) निवेशों से आय को, भुगतान की प्राप्ति का अधिकार प्रमाणित होने पर मान्य किया जाता है।

व्यय

व्यय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित मामलों के अलावा पोस्टल और मौखिक कोचिंग से संबंधित व्यय शामिल हैं : –

i. चैप्टरों के वार्षिक अनुदानों को उनका वितरण किए जाने पर मान्य किया जाता है।

ii. चुनाव व्यय को उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष में यह खर्च किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत में से संचित मूल्यह्रास और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है। लागत में खरीद की कीमत और कोई अन्य लागत शामिल है, जो परिसंपत्ति को इसके अपेक्षित उपयोग के लिए इसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जो लागत में से संचित परिशोधन और निवल हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो उसके अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के तहत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को कम करके तय किया गया है।

मूल्यह्रास/ परिशोधन

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय कर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट मदों पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया गया है।
- (ख) लीजहोल्ड भूमि का बही मूल्य तथा उस पर भुगतान किया गया प्रीमियम, पट्टा अवधि के दौरान आसानी से परिशोधित ह्रास किया गया है। भूमि किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष के व्यय के रूप में मान लिया गया है, जिसके लिए ये शुल्क देय हैं अथवा भुगतान योग्य हैं।
- (ग) लाइब्रेरी की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष में ये खरीदी गई हैं, उस वर्ष में 40 प्रतिशत पर मूल्यह्रास किया गया है। इसमें एन आई आर सी शामिल नहीं हैं, जिसमें 100 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास किया गया है।

निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत पर माना गया है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में एक स्थायी गिरावट हो तो संगत राशि की गिरावट को मान्य करने के लिए कम किया गया है।

वस्तुसूची

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री तथा पेपर स्टॉक और विवरणिका स्टॉक इत्यादि को लागत अथवा निवल वसूली मूल्य से कम पर आंका जाता है। प्रकाशन की लागत और अध्ययन सामग्रियों की लागत का निर्धारण भारत औसत आधार पर और पेपर की लागत का निर्धारण फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफ आई एफ ओ) के आधार पर किया जाता है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

i) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है : –

- (क) जब विगत इवेंट के कारण वर्तमान बाध्यता हो ;
- (ख) यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का आउटप्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित है ; तथा
- (ग) एक विश्वसनीय अनुमान को, बाध्यता की राशि से पूरा किया जा सकता है।

ii) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है : –

- (क) कोई ऐसी संभव बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी इवेंट, जो इंस्टीट्यूट के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, के होने अथवा न होने से प्रमाणित होगी ;
- (ख) कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता, जो विगत इवेंट से उत्पन्न हो लेकिन मान्य नहीं की गई, क्योंकि यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का आउटप्लो, बाध्यता को निपटाने के लिए अपेक्षित होगा अथवा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता।

ऐसी बाध्यताएं आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट की गई हैं। इनका आकलन नियमित अंतराल पर किया गया है और केवल बाध्यता के उस अंश का आकलन किया गया है, जिसके लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का एक आउटप्लो केवल ऐसी अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, संभावित है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए जा सकते।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है।

विदेशी मुद्रा लेन देन

विदेशी मुद्रा में लेन देन, उस लेन देन को करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। मौद्रिक मदों की सूचना तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित अंतिम दर का उपयोग करके दी जाती है। प्रारंभ में दर्ज/ सूचित मौद्रिक मदों के निपटान के संबंध में उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को, आय/व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में जिस अवधि में ये उत्पन्न हुए हैं, उस अवधि में आय और व्यय के विवरण में मान्य किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

कर्मचारी लाभ

i. अल्प कालिक लाभ

अल्प कालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए गए व्यय के रूप में मान्य किया गया है, जिसमें दावा न की गई राशि प्रदान की गई है।

ii. रोजगार उपरांत के लाभ

रोजगार के उपरांत के लाभ, जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि मुख्यालय, संबंधित क्षेत्रीय परिषदों तथा चैप्टरों को यथा लागू प्रदान किए गए हैं।

परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को संपत्ति के निहित मूल्य की क्षति के लिए समीक्षा की गई है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, तो क्षति को मान्य किया जाता है।

आय पर कर

इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत आयकर से छूट प्रदान की गई है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्थगित कर देयता/ परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

अवधि पूर्व आय/ व्यय

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के कारण वर्तमान अवधि में उत्पन्न अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय के विवरण में अलग से प्रकट किया गया है।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को कोलकाता मुख्यालय, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और छियानवे चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनमें से एक वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित नहीं हैं यथा नया नांगली।

सतरह चैप्टरों, नामतः इन्दौर, देवास, जबलपुर, विंध्यनगर, सिंगरौली, नेवेली, बारंगल, सातवाहन, गाजियाबाद, गुडगांव, जम्मू, बोकारो, जाजपुर, क्योझार, जमशेदपुर, नेहाती, संभलपुर और बालासोर के वित्तीय विवरणों को प्राप्त न होने के कारण इन्हें वर्तमान वर्ष में शामिल नहीं किया गया। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों के पूर्व वर्ष के आंकड़ों में इन चैप्टरों के विगत वर्ष के आंकड़े शामिल हैं (अनुलग्नक- I देखें)।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

2. क. आकस्मिक देयता (जो प्रदान नहीं की गई)

क) नीति के तहत चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलोजी व्यय) की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अधधीन बिल प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित की जा सकती है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, अप्रयोज्य शेष राशि, जो कर्मचापरियों के खाते में जमा है, वह 24,93,247/- (विगत वर्ष में 45,61,466/-) है।

ख) वर्ष 2014 में ई आई आर सी के खिलाफ संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा एक कानूनी वाद दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति में बदलाव नहीं आया है। मामले के अंतिम परिणामों के बाद लेखाओं में आवश्यक प्रभाव, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

ग) वित्त अधिनियम, 1994 आर डब्ल्यू सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के तहत, लागू ब्याज दंड 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में 5,01,68,756/- रु.) के साथ सेवा कर मांग 5,01,68,756/- रु. (विगत वर्ष में, 5,01,68,756/- रु.) है, जिसमें से 37,62,657/- रु. की राशि, जो मांग का 7.5 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान भुगतान कर दी गई है तथा "ऋण और अग्रिम" राशि के तहत 'सेवा कर जमा' के रूप में दर्शाई गई है।

घ) एन आई आर सी के संबंध में, दो मामले, आई डी सं. 122/2021 और आई डी सं. 123/2021, सी जी आई टी व लेबर कोर्ट-II, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है। दाखिल किए गए मामलों के लिए आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गई हैं क्योंकि ये मामले न्यायिक निर्णय की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतः आकस्मिक देयताओं की संगत धनराशि लेखा परीक्षाधीन वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित रहेगी।

ड.) कोचीन चैप्टर के संबंध में :

i) सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण कार्य के कारण समीप के भवन की क्षति के लिए 19,38,785/- (विगत वर्ष में 19,38,785/-) की राशि की मांग के लिए एक उप न्यायालय का आदेश था। चैप्टर ने एर्नाकुलम जिला न्यायालय में एक अपील दाखिल की है और अंतिम आदेश के लंबित रहते 15,00,000/- की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर स्थगन याचिका प्राप्त की है।

ii) 75,80,762/- (विगत वर्ष में 75,80,762/-) राशि की कार्य संविदा के संबंध में फार्म आई ई ई (छूट फार्म) चैप्टर द्वारा ठेकेदारों से प्राप्त नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्य ठेकेदारों से ऐसे फार्म प्राप्त नहीं करने के कारण कार्य संविदा कर देनदारी 6,06,461/- रु. तथा ब्याज होगी, जिसका लेखाओं में उल्लेख नहीं किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी - 20 (जारी)

ख. पूंजीगत प्रतिबद्धता (जो प्रदान नहीं की गई)

पूंजीगत लेखा के संबंध में निष्पादन किए जाने हेतु शेष अनुबंध की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम राशि) और प्रदान की गई राशि 12,11,250/- (विगत वर्ष - 12,11,250/- रु.) है।

3. आयकर के संबंध में छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के तहत प्रदान की गई है, जो वित्त अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत नवीकरण किए जाने के अध्वधीन है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देनदारी के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

4. इंस्टीट्यूट द्वारा रखी गई सभी पुरस्कार राशि लेखाओं में और तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेशों के साथ शामिल की गई है। निधियों को विभिन्न दाताओं द्वारा प्रदान किया गया है।

5. 327,02,93,495/- रु. (विगत वर्ष में 269,55,15,950/-) की सावधि जमा राशि में विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए 58,65,351/- (विगत वर्ष में 57,79,142/- रु.) शामिल है।

6. अन्य अग्रिम राशि में एम सी आई, भारत सरकार द्वारा अनुमति न देने के कारण पूर्व परिषद सदास्य से बकाया 1,36,097/- रु. (विगत वर्ष 1,36,097/- रु.) शामिल हैं और वर्तमान में मामला न्यायाधीन है।

7. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं : -

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जी एस टी सहित) रु .5,42,269/- (विगत वर्ष रु. 5,06,869/-)

8. (i) मुख्यालय

क) द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को भविष्य निधि का अंशदान प्रदान किया जाता है।

ख) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) के तहत ग्रेच्युटी के संबंध में देनदारी को समूह ग्रेच्युटी नीति से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिए गए अंशदान के आधार पर मान्य किया जाता है।

ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देनदारी को एल आई सी आई के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि के आधार पर मान्य किया जाता है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

(ii) डब्ल्यू आई आर सी

- क. एफ डी ए पी एल से प्राप्य 67,30,000/— रु. (विगत वर्ष में 67,30,000/— रु.) के वसूलनीय दावे पक्षकार द्वारा विवादित हैं। इसी प्रकार, 67,30,000/— रु. की राशि दावा संदिग्ध – एफ डी ए पी एल में एफ डी ए पी एल को भुगतान योग्य 60,02,000/— रु. के शेष इनवायस की राशि शामिल है। डब्ल्यू आई आर सी को देय राशि के भुगतान के लिए पक्षकार से अनुस्मारक और माध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।
- ख. अनुसूची ग – चालू देयताओं में दर्शाई गई 4,20,707/— रु. (विगत वर्ष में 4,20,000/— रु.) की वसूलनीय राशि के लिए प्रावधान ए जी एम द्वारा अनुमोदन किए जाने पर पुरांकित किए जाएंगे क्योंकि यह भुगतान योग्य नहीं है।
- ग. परिषद ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समूह ग्रेच्युटी योजना अपनाई है, तथापि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बीमाकृत मूल्यांकन के अभाव में प्रीमियम का वास्तविक भुगतान और ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के संशोधन के कारण देनदारी में वृद्धि होने पर अतिरिक्त अंशदान को ग्रेच्युटी के प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है।
- घ. डब्ल्यू आई आर सी द्वारा, प्राप्त राशियों, ऋणों एवं अग्रिम राशियों तथा संबंधियों को व्यापार भुगतान योग्य राशियों के संबंध में लेखाओं की शेष राशियों की पुष्टि करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं और यह शेष राशियां पुष्टि किए जाने की अध्यक्षता में हैं।

(iii) ई आई आर सी

- क) ई आई आर सी को पट्टा करार के अनुसार एस बी आई से मासिक किराए के रूप में 1,60,000/— प्रतिमाह प्राप्त हुए हैं। ई आई आर सी के एस बी आई के संबंध में जी एस टी बिल भी तैयार किया गया था, तथापि, एस बी आई से कोई जी एस टी प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा करार के अनुसार किराए में लागू जी एस टी शामिल नहीं है।
- ख) द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल (ई आई आर सी) ने ई आई आर सी भवन के भूतल पर स्थित एस बी आई की हरीश मुखर्जी रोड ब्रांच के साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए किराए का एक एग्रीमेंट किया था। उसके बाद, ई आई आर सी ने इनवायस तैयार किए थे और अप्रैल, 2021 से अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए 1,60,000/— रु. प्रति माह की दर पर किराया प्राप्त किया। इंस्टीट्यूट के सचिव (परिषद के सचिव) द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार ई आई आर सी ने किराए के लिए न तो कोई इनवायस जारी किया और न ही सितंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एस बी आई से कोई राशि वसूली। अतः इससे 11,20,000/— रु. का कम राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, अप्रैल, 2021 से अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए, एस बी आई द्वारा जी एस टी राशि जमा नहीं की गई है और उसे विविध देनदार खाते में दर्शाया गया है! यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सचिव ने पत्र में संगत करार (एग्रीमेंट) को अमान्य बताया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

- ग) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 6,46,295/— की टी डी एस प्राप्य लेखा शेष राशि दर्शाई गई है। इसे वास्तविक टी डी एस प्रमाणपत्र और आयकर पोर्टल से इंस्टीट्यूट के नाम विभाग की वास्तविक जमा राशि के संदर्भ में पूरी तरह से मिलान किया जाएगा।
- घ) डॉ. ए. एस. दुर्गा प्रसाद, अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी द्वारा शिकायत सं. कॉम/21-सी डब्ल्यू ए (9) 2010 में जारी किए गए 27 मई, 2015 के आदेश के अनुसार लागत एवं संकर्म लेखापाल (व्यावसायिक एवं अन्य दुर्यवहार तथा मामलों के आचरण की जांच की प्रक्रिया) नियमावली, 2007 के नियम 19(1) के साथ पठित सी डब्ल्यू ए अधिनियम, 1959 की धारा 21ख (3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं : –
- क. “सदस्य की प्रताड़ना
- ख. आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर संस्थान के ई आई आर सी को दी जाने वाली 61,461/— रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान, और
- ग. आदेश सौंपे जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य का रजिस्टर से नाम हटाना”

तदनुसार, 1,22,922/—रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अपील प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम की धारा 22 (ड) की उप धारा (2) के खंड (ग) के तहत इस उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उन

निर्देशों को पूरा होने तक इंस्टीट्यूट की अनुशासनिक समिति द्वारा पारित अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया है जिनके लिए आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्यवाई करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

(iv) एन आई आर सी

- क. एन आई आर सी चैप्टरों की 7,91,703/— रु. की धनराशि की पुष्टि, पुनर्मिलान न होने और धनराशि की वसूली लंबित रहने के कारण, हम वास्तविक वसूलनीय धनराशि का पता लगाने में असमर्थ हैं और इसीलिए लेखा परीक्षाधीन अवधि के लिए एन आई आर सी के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।
- ख. दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति योग्य और भुगतान योग्य धनराशि के शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पुष्टि प्राप्त होने पर प्रकटन के प्रभाव, यदि कोई हों, पर इस समय टिप्पणी नहीं की जा सकती।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

- ग. कैरियर काउंसिलिंग (76,171/— रु.) और विज्ञापन (50,000/— रु.) के संबंध में मुख्यालय से 1,26,171/— रु. का प्रावधान न होने को वसूलनीय बताया गया है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और यह काफी लंबे समय से वसूली के लिए लंबित वसूली है। इसके कारण 1,26,171/— रु. की आय अधिक बताई गई है और इस राशि से वर्तमान परिसंपत्तियां (मुख्यालय वसूलनीय) अधिक हो गई है।
- घ. विगत वर्षों 2016-17 से 2020-21 के लिए मुख्यालय को अंतरित 13,25,640/— रु. के टी डी एस जमा की पुष्टि नहीं हुई है और इसे मुख्यालय के वसूलनीय दिखाया गया है।
- ड. सत्यापित की गई आनलाइन देयता की स्थिति के तहत एन आई आर सी के पास, 1,57,285/— रु. की टी डी एस मांग बकाया है। चूंकि उत्तरी भारतीय क्षेत्रीय परिषद मामले पर आय कर प्राधिकारियों के साथ अनुसरण कर रही है, दंड ब्याज के संबंध में बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि देय हो सके, अतः मांग वैध नहीं हो सकती क्योंकि इसे ठीक किए जाने की जरूरत है और आयकर विभाग के साथ अनुसरण करने की जरूरत है। आवश्यक सुधार के क्षेत्रों के लिए टी डी एस की बकाया मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	वर्ष	बकाया मांग
1	2021-22	6,400/-
2	2020-21	6,050/-
3	2019-20	17,740/-
4	2018-19	23,825/-
5	2012-13	35,663/-
6	2009-10	12,607/-
7	2008-09	43,160/-
8	2007-08	17,420/-
	कुल	1,57,285/-

- च. जनवरी, 2012 से द आई सी डब्ल्यू ए आई का नाम आई सी ए आई हो गया था। सावधि जमा रिकार्ड में आई सी डब्ल्यू ए आई से आई सी ए आई (एन आई आर सी) नाम बदलने के लिए कई अनुस्मारकों के बाद भी कोई आवश्यक उपाय नहीं किए गए।
- छ. मंदिर मार्ग, दिल्ली में पड़ी नियत संपत्तियों का सत्यापन विवाद के कारण संभव नहीं था और मामला पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीन था। इन संपत्तियों की हानि के लिए समय सीमा के अनुसार मूल्यहास प्रभावों के अलावा मंदिर मार्ग दिल्ली परिसर में पड़ी नियत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
9. क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास चालू खातों के तहत 20,41,09,425/— रु. (निवल जमा) की बिना मिलान की गई राशि शेष है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

10. इंस्टीट्यूट के पास 4,99,664/— रु. की गैर विशिष्ट जमा राशि काफी समय से बकाया रखी है। इस राशि की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सकता।

11. परिषद ने दिनांक 20 मई, 2022 को मुख्यालय में हुई 336वीं बैठक में, वित्त समिति और कार्यकारी समिति द्वारा यथासंस्तुत वित्त वर्ष 2021-22 की सरप्लस राशि से 'सदस्यों की हितकारी निधि' में 5,00,00,000/- रु. का अंतरण अनुमोदित किया।
12. क्षेत्रीय परिषदों और चेप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन की प्रविष्टियां लेखाओं के समेकन के समय कर दी गई हैं।
13. 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर (यथासंशोधित) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमिक विकास अधिनियम, 2006" के अंतर्गत यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को ब्याज सहित कोई राशि देय नहीं है।
14. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि की वर्ष के अंत में शेष राशि संबंधित पक्षकारों से शेष पुष्टियों के अध्ययन हैं।
15. विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के समूहों के समनुरूप पुनःवर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणियां 1 से 20 तक के लिए हस्ताक्षरित

सीएमए अर्नब चक्रवर्ती

सीएमए कौशिक बनर्जी

निदेशक – वित्त

सचिव

सीएमए विजेन्द्र शर्मा

सीएमए पी राजू अय्यर

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

स्थान : कोलकाता

तारीख

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी – 20 (जारी)

अनुबंध-1 (लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी – I देखें)

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं के प्राप्त होने की स्थिति			
पश्चिमी क्षेत्र		दक्षिणी क्षेत्र	
क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	1	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आई सी ए आई का अहमदाबाद चैप्टर	2	आई सी ए आई का बंगलौर चैप्टर
3	आई सी ए आई का औरंगाबाद चैप्टर	3	आई सी ए आई का कोचीन चैप्टर
4	आई सी ए आई का बड़ौदा चैप्टर	4	आई सी ए आई का कोयंबटूर चैप्टर
5	आई सी ए आई का भिलाई चैप्टर	5	आई सी ए आई का ईरोड चैप्टर
6	आई सी ए आई का भोपाल चैप्टर	6	आई सी ए आई का गोदावरी चैप्टर
7	आई सी ए आई का बिलासपुर चैप्टर	7	आई सी ए आई का हैदराबाद चैप्टर
8	आई सी ए आई का गोआ चैप्टर	8	आई सी ए आई का कोट्टायम चैप्टर
9	आई सी ए आई का इंदौर-देवास चैप्टर #	9	आई सी ए आई का मुदुरई चैप्टर
10	आई सी ए आई का जबलपुर चैप्टर #	10	आई सी ए आई का मंगलौर चैप्टर
11	आई सी ए आई का कल्याण-अंबरनाथ चैप्टर	11	आई सी ए आई का मेतूर-सेलम चैप्टर
12	आई सी ए आई का कोल्हापुर-सांगली चैप्टर	12	आई सी ए आई का मैसूर चैप्टर
13	आई सी ए आई का कच्छ-गांधीधाम चैप्टर	13	आई सी ए आई का नेल्लई-पल्ल सिटी चैप्टर
14	आई सी ए आई का नागपुर चैप्टर	14	आई सी ए आई का नेल्लूर चैप्टर
15	आई सी ए आई का नासिक-ओजार चैप्टर	15	आई सी ए आई का नेवेली चैप्टर #
16	आई सी ए आई का नवी मुंबई चैप्टर	16	आई सी ए आई का पलक्काड चैप्टर
17	आई सी ए आई का पिमरी-चिंचवाड-अकुरडी चैप्टर	17	आई सी ए आई का पांडिचेरी चैप्टर
18	आई सी ए आई का पुणे चैप्टर	18	आई सी ए आई का रानीपेट-वेल्लूर चैप्टर
19	आई सी ए आई का रायपुर चैप्टर	19	आई सी ए आई का त्रिशूर चैप्टर
20	आई सी ए आई का सूरत-गुजरात चैप्टर	20	आई सी ए आई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
21	आई सी ए आई का वापी-दमन-सिलवासा चैप्टर	21	आई सी ए आई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
22	आई सी ए आई का विंध्यानगर चैप्टर #	22	आई सी ए आई का उकननाग्राम चैप्टर

23	आई सी ए आई का सोलापुर चैप्टर	23	आई सी ए आई का विजयवाड़ा चैप्टर
24	आई सी ए आई का भरुच अंकलेश्वर चैप्टर	24	आई सी ए आई का विशाखापट्टनम चैप्टर
25	सिंगरौली चैप्टर #	25	होसूर चैप्टर
		26	कोजिखोड – मल्लापुरम चैप्टर
		27	वारंगल (28.09.2021) #
		28	साथवाहन (28.09.2021) #
		29	तिरुपति (07.04.2021)
		30	डिंडिगुल

पूर्वी क्षेत्र		उत्तरी क्षेत्र	
क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	1	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आई सी ए आई का अगरतला चैप्टर #	2	आई सी ए आई का आगरा-मथुरा चैप्टर
3	आई सी ए आई का आसनसोल चैप्टर	3	आई सी ए आई का अजमेर-भीलवाड़ा चैप्टर
4	आई सी ए आई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर #	4	आई सी ए आई का इलाहाबाद चैप्टर
5	आई सी ए आई का भुवनेश्वर चैप्टर	5	आई सी ए आई का चंडीगढ़-पंचकुला चैप्टर
6	आई सी ए आई का कटक-जगतसिंहपुर-केन्द्रपारा चैप्टर	6	आई सी ए आई का देहरादून चैप्टर
7	आई सी ए आई का धनबाद-सिंदरी चैप्टर	7	आई सी ए आई का फरीदाबाद चैप्टर
8	आई सी ए आई का दुर्गापुर चैप्टर	8	आई सी ए आई का गाजियाबाद चैप्टर #
9	आई सी ए आई का गुवाहाटी चैप्टर	9	आई सी ए आई का गोरखपुर चैप्टर
10	आई सी ए आई का हजारीबाग चैप्टर	10	आई सी ए आई का गुड़गांव चैप्टर #
11	आई सी ए आई का हावड़ा चैप्टर	11	आई सी ए आई का हरिद्वार-ऋषिकेश चैप्टर
12	आई सी ए आई का जाजपुर – क्योंझार चैप्टर #	12	आई सी ए आई का जयपुर चैप्टर
13	आई सी ए आई का जमशेदपुर चैप्टर #	13	आई सी ए आई का जालंधर चैप्टर
14	आई सी ए आई का खड़गपुर चैप्टर	14	आई सी ए आई का जम्मू चैप्टर #
15	आई सी ए आई का नईहत्ती – इच्छापुर चैप्टर #	15	आई सी ए आई का झांसी चैप्टर #
16	आई सी ए आई का पटना चैप्टर	16	आई सी ए आई का जोधपुर चैप्टर
17	आई सी ए आई का राजपुर चैप्टर	17	आई सी ए आई का कानपुर चैप्टर
18	आई सी ए आई का रांची चैप्टर	18	आई सी ए आई का कोटा चैप्टर
19	आई सी ए आई का राउरकेला चैप्टर	19	आई सी ए आई का लखनऊ चैप्टर
20	आई सी ए आई का संबलपुर चैप्टर #	20	आई सी ए आई का लुधियाना चैप्टर
21	आई सी ए आई का सेरामपोर चैप्टर	21	आई सी ए आई का नया नागल चैप्टर
22	आई सी ए आई का सिलीगुड़ी-गंगटोक चैप्टर	22	आई सी ए आई का नोएडा चैप्टर
23	आई सी ए आई का साउथ ओडिशा चैप्टर	23	आई सी ए आई का पटियाला चैप्टर
24	आई सी ए आई का तलचर-अंगुल चैप्टर	24	आई सी ए आई का उदयपुर चैप्टर
25	आई सी ए आई का धुलियाजान चैप्टर	25	आई सी ए आई का बीकानेर झुंझनु चैप्टर
26	चन्द्रपुर चैप्टर	26	आई सी ए आई का कर्नेल पानीपत चैप्टर
27	आई सी ए आई का बांकुरा चैप्टर	27	आई सी ए आई का सोनीपत चैप्टर
28	आई सी ए आई का बालासोर चैप्टर #	28	आई सी ए आई का श्रीनगर चैप्टर
29	आई सी ए आई का पटना साहेब चैप्टर	29	आई सी ए आई का मेरठ चैप्टर
30	आई सी ए आई का मुजफ्फरपुर चैप्टर	30	आई सी ए आई का सहारनपुर चैप्टर
		31	आई सी ए आई का बेवर चैप्टर
		32	शिमला

#वर्तमान वर्ष के दौरान शामिल नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. G/20-CWA/9/2022.—In pursuance of Sub-Section 5B of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2022 are hereby published for general information.

63rd ANNUAL REPORT, 2021-22

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 63rd Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2021-22

Directorate and its Activities

Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates

✓ **President's Office**

President's office at Delhi and Kolkata facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with departments of the Institute and external agencies. It may not be involved with the activities directly but indirectly there are many actions taken by the President's office for the ease of coordination. The department also carried out various tasks, and jobs assigned by Council Members, Past Presidents and Higher Officials of the Institute.

✓ **Directorate of Examination**

Due to the Covid-19 situation in the country, examinations were conducted through online mode for Intermediate & Final examinations (centre-based mode) and Foundation examination (home-based mode). The Foundation examination for June 2021 term was held in September 2021 and December 2021 term was held in January 2022. The merged examination of June 2021 and December 2021 terms of Intermediate and Final examinations were held in December 2021. The Examination was conducted in 255 examination centres including 3 overseas centres. In total there were 25,030 examinees for the Foundation examination and 58,869 examinees had appeared in the Intermediate and Final examinations. With the active support of the Chairman and the members of the Examination Committee and all concerned, the results of all the examinations were published smoothly adhering to the time schedules and conforming to the standards.

✓ **Directorate of Studies**

The Directorate is mainly focused on students' related activities and always striving to serve them better by performing several activities through online or offline mode. Presently it is having five distinct wings:

- (A) Academics
- (B) Administration
- (C) Online Coaching/E-Learning
- (D) Skills Training
- (E) Practical Training

While Academic wings of D.O.S is assigning with the duties to develop the skill of the students through knowledge, comprehension, application and analysis of various academic related matters, the Administrative wing of D.O.S administers the other functional activities such as students' admission, coaching, revalidation, exemption, training and related matters. Some activities are jointly handled and looked after by both these wings.

✓ **Membership Department**

The Membership Department, under the guidance of the Members' Facilities Committee, and under the active leadership of CMA P. Raju Iyer, President of the Institute and CMA (Dr.) V. Murali, Chairman of the Members' Facilities Committee, has continued to improve and offer seamless services, mostly through online to members throughout the year. With the **introduction of DIGILOCKER facility**, members are availing online Members' Identity Card. Grant of membership is made on a **weekly basis**.

Some of the salient features of the department are:

- Provision for restoration of Certificate of Practice
- Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members
- Provision for incorporation of GST number against membership number along with the reflection of the same in their corresponding membership fees receipts

- Introduction of facility of payment of membership fee online without login
- Faster grant of Certificate of Practice in a regular manner.
- Publication of List of Members as well as List of Members holding Certificate of Practice
- Continuous improvement for a seamless digital experience covering all activities of membership through online facility

✓ **Directorate of Journal & Publications**

- The Directorate publishes monthly journal “The Management Accountant” and quarterly journal “Research Bulletin” on regular basis.
- The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and continuously trying to increase the same to other parts of the world.
- The Management Accountant journal is available on apps for reading through third parties viz. Magzter and Readwhere and the Directorate is also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.
- The Management Accountant' has got enlisted in the prestigious “UGC-CARE Reference List of Quality Journals” after several rounds of rigorous process and quality checking.
- Column for Digital transformation especially in this day and age, aids in increasing efficiency, enhancing customer value, risk management and also constant and up to date navigation of opportunities for revenue generation.

✓ **Information Technology Department**

With the efficient use of Information Technology, the services to Institute stakeholder's getting better gradually as Information Technology is contributing to overall growth of the Institute.

- Finalization of IT Policy & Procedure manual
- Digilocker facility for Members & Students
- Integration of online applications with Tally for generating GST Invoices
- Installation of new Video Conferencing System at Kolkata & Delhi
- Redesigning and creation of other Web Portals
- Designing and Development of Grievance Portal
- IT Bulletin for Institute Employees
- SMS & Email Statistics

✓ **Professional Development & CPD Directorate**

❖ **PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES**

- Recognition of CMAs on the Institute's representation
- Representations to Government, PSUs, Banks and Other Organizations
- Unique Document Identification Number (UDIN) for Practitioners
- Other Professional Development Initiatives

❖ **CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) ACTIVITIES**

- Mandatory Capacity Building Training (MCBT) for COP holders
- Online(e-learning) activities i.e. Webinars and Webints
- Programmes & Webinars Organised by PD & CPD Committee
- Joint Programmes

❖ **National Awards for Excellence in Cost Management and CMA Awards**

✓ **Regional Council & Chapters Coordination Committee**

The Committee is tasked with:

- Bridging the gap among Headquarters, Regional Councils & Chapters
- Improving operational efficiencies
- Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute
- Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared Concern.

Activities of the Committee:

- Formation of New Chapter
- Dissolution of Chapter
- Name Change of Chapter
- Webinars
- Other activities

✓ **International Affairs Department**

• **South Asian Federation of Accountants (SAFA)**

CMA P Raju Iyer, President along with CMA Vijender Sharma, Vice President, CMA (Dr.) Balwinder Singh, Past President & Council Member and CMA H. Padmanabhan, Chairman, International Affairs Committee of the Institute & Chairman of SAFA PAIB Committee attended the 70th SAFA Board Meeting and 94th SAFA Assembly Meeting hosted by the Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka on 4th January, 2022 in Colombo, Sri Lanka through Video Conferencing.

• **Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)**

CAPA Members Meetings and AGM held on 24th May, 2022 through virtual mode wherein the recent initiatives taken by CAPA were discussed, attended by CMA P Raju Iyer, President and CMA Vijender Sharma, Vice President of the Institute.

• **International Integrated Reporting Council (IIRC)**

CMA P Raju Iyer, President along with CMA Balwinder Singh, Former President and Institute's representative to the Council of the Value Reporting Foundation, UK attended the <IR> Council Meeting held on 16th June 2022 in New York.

• **International Webints** organized by the International Affairs Committee under the Chairmanship of CMA H. Padmanabhan, Council Member of the Institute.

✓ **Career Counselling Committee**

- The Committee was constituted at the 333rd Meeting of the Council of The Institute of Cost Accountants of India held on 28th November, 2021. The Career Counselling Committee for the year 2021-22 functioned under the chairmanship of CMA Papa Rao Sunkara. The importance of career counselling necessitated the constitution of a separate Career Counselling Committee for 2021-22 which was previously carried on by the Training, Education and Facilities and Placement Committee through the Directorate of Studies which has a Career Counselling wing.
- The Career Counselling Committee for the year 2021-22 held its first 1st Meeting on 12th January, 2022 at the Institute's Hyderabad Centre of Excellence. The members resolved to adopt the vision, preface and objectives which was referred the Council for necessary approval.

✓ **Task Force on MSME & Start-up**

The Institute during the 333rd Meeting of the Council held on 28th November, 2021 decided to constitute a Task Force on MSME & Start-up for the purpose of evolving ways and means to guide the MSME Sector and Start-ups. The Institute, after considering the undeniable fact that the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector can play a crucial role in realising the vision of “**Aatmanirbhar Bharat**” or self-reliant India, looks forward in extending support to the Government initiatives in whatever way possible including by way of providing support and suggestions to the MSME Sector and Start-ups. The Chairmanship of the newly constituted Task Force on MSME and Start-up was entrusted to CMA Chittaranjan Chattopadhyay as its first chairman and consisting of a total of eighteen (18) members.

✓ **Tax Research Department/Taxation Committee**

- Celebrating the 5th Anniversary of GST Day
- Quiz
- Tax Bulletins
- Workshops
- Webinars
- Representation to the Government
- Taxation Help Desk
- Taxation Courses

Indirect Taxation

- Certificate Course on GST
- Advanced Certificate Course on GST
- GST Course for College and Universities
- Advance Course on GST Audit and Assessment
- Certificate Course on International Trade

Direct Taxation

- Certificate Course on TDS

- Certificate Course on Income Tax Return Filing
- Advance Course on Income Tax Appeals and Assessment

✓ **CAT Directorate**

The officials of the CAT Directorate ensured post the second wave of COVID-19 pandemic subsided that concerns, needs and queries of students of CAT course and other stakeholders are properly & amicably assisted and addressed to. The swift adoption of technology for the purpose helped not only students but avoided pendency of work too.

Activities:

- CAT Examination
- CAT Course Part-II Online Classes for CAT Students
- Association with the Ministry of Defence
- MoU with Uttar Pradesh Skill Development Mission
- Project to implement CAT Course for SC-ST candidates
- MoU with Mahatma Gandhi University (MGU), Nalgonda
- MOU between the Institute and MSSDS
- MOU between the Institute and ASAP
- Proposal to implement CAT Course in other States of India
- Online Classes for CAT Students
- New ROCCs and Career Counselling Activities in ROCCs
- WEBINT

✓ **Board of Advanced Studies & Research**

- **Advanced Studies Courses:**
 - ❖ EXECUTIVE DIPLOMA IN BUSINESS VALUATION
 - ❖ EXECUTIVE DIPLOMA IN COST & MANAGEMENT ACCOUNTING FOR ENGINEERS
 - ❖ CERTIFICATE COURSE IN ARBITRATION
 - ❖ CERTIFICATE COURSE IN DATA ANALYTICS FOR FINANCE PROFESSIONALS
 - ❖ ADVANCED BUSINESS EXCEL FOR FINANCE PROFESSIONALS
 - ❖ SAP FICO - POWER USER COURSE
 - ❖ DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM SECURITY AUDIT
 - ❖ DIPLOMA IN FORENSIC AUDIT
 - ❖ ADVANCED CERTIFICATE COURSE IN INTERNAL AUDIT
- **Online Events/Workshop**
- **Online Examinations**
- **CMA National Online Business Quiz 2021**

✓ **Technical Cell (Cost Audit & Statutory Compliances)**

- Consultations on Treatment of Finance Cost in Cost Statements
- Release of the 3rd tranche of FAQs on Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014
- Submission to the Cost Audit Branch
- Responses by the Technical Cell to the Queries of members / stakeholders

✓ **Cost Accounting Standards Board (CASB)**

✓ **Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)**

✓ **Peer Review Board (PRB)**

✓ **Internal Committee**

As envisaged under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressed) Act, 2013 the annual report of the Internal Committee of Institute for the period is as follows:-

Number of complaints of Sexual Harassment received in the year (1 st April, 2021 to 31 st March, 2022)	2
Number of complaints of Sexual Harassment registered & disposed off in the year (1 st April, 2021 to 31 st March, 2022)	1

✓ **Internal Control Department**

Internal Audit

The Department had coordinated for the appointment of Internal Auditors for the year 2021-2022 for four Regional Councils (WIRC, SIRC, EIRC and NIRC) and four Chapters (Bangalore, Hyderabad,

Bhubaneswar, Jaipur) with Turnover exceeding Rs. 1 crore and above through an Expression of Interest and also providing the scope of work and necessary coordination for such audit.

Purchase Proposals

The department has been vetting various purchase proposals originating from different departments at HQ, Delhi Office along with procurement proposals of Regional Councils and Chapters.

C & AG Audit Replies

The department also provided the requisite support services in compliance to the C & AG Outstanding Paras for both Headquarters, Chapters and Regions of the Institute as per the directions of the competent authority.

✓ **Banking Financial Services & Insurance Board**

- **Professional Development Activities**
- Pension Month in the month of January, 2022
- Insurance Month in the month of June, 2022
- Banking Month in the month of July, 2022
- Conduct of 30 hours Orientation Programme for the vacancies in Bank of India for CMAs
- Workshop on Risk Based Internal Audit
- **Certificate Courses**
- Certificate Course on Investment Management in association with NISM
- Certificate Courses on Banking
- Certificate Course on General Insurance in association with National Insurance Academy
- **Professional Publications**
- Release of Aide Memoire on Infrastructure Financing
- Release of the 10th issue and 2nd Annual Issue of BFSI Chronicle
- Daily News Digest
- Representation letters for inclusion of CMAs

✓ **Members in Industry and Placement Committee**

The Committee embarked on activities and programs for sharing, disseminating and providing to various industries the valuable role of CMAs.

1. The Committee held Webinars and Seminars inviting industry experts who shared their expert views with the member participants for greater value addition to the profession.
2. Several Seminars/Webinars had been conducted successfully by the Committee with the following objectives:
 - These programs were a part of the capacity building initiative for the professional members whose knowledge and skills were enhanced through such events
 - Knowledgeable industry experts, from all over the country, were invited to share their views on various perspectives of the industries and latest development and the need for CMAs at various sectors
 - Huge gathering of interested members registered for the programs and participated actively in the valuable discussions in such programs to clear their concepts and doubts

✓ **Management Accounting Committee**

The Institute has decided to mark the occasion of International Management Accounting Day on the 6th of May by holding Seminar on Management Accounting every year. This has been the first year of this event by the Institute and the seminar involved deliberations on various emerging techniques of Management Accounting keeping Sustainable Development at its core. The first day was on Management Accounting followed by the Summit on Corporate Laws the next day, 6th & 7th May, 2022 in Mumbai. The 2-days program was successfully conducted under the able guidance of Chairman CMA Neeraj D. Joshi.

✓ **Task Force on Agri Cost Management**

The Institute constituted an Agriculture Task Force viz. 'Task Force on Agri Cost Management' for the purpose of evolving ways and means of augmenting the farmer's income. Publication of 'CMA Agri Bulletin' in a regular interval is an initiative of this Task Force to encourage the researchers to write research-based articles and case studies on various areas of Agriculture Cost Management with a view to 'Educating, Empowering, Enhancing and Enriching' the farmers.

Initiatives:

- National Farmers' Day
- CMA Convention on 'Agri Value Chain Management'
- CMA-FPO Symposium on "Cost Optimisation and Returns Maximisation throughout the Agricultural Value Chains"

✓ **PR Department****Initiatives:**

- Institute's request to Govt. Ministries and Departments and its follow up
- Media Management
- Inviting VVIPs for Institute's Programmes as Chief Guests and Guests of Honor on behalf of the Institute.
- Co-ordination for messages from Ministers for various events

✓ **Committee on Cost Management for Public and Government Services**

The Committee under the Chairmanship of CMA Niranjana Mishra, Council Member was constituted by the Council of the Institute at its 333rd Council Meeting held on 28th November 2021 of the Institute.

The Committee has been constituted for achieving the following objectives

- To develop sector-specific module for Cost Management in Government and Public sector with an in-depth study and analysis of each sector in a structured and systematic manner incorporating a need-based framework with research orientation.
- To identify a pool of resource persons and constitute a sector-specific resource pool in the field of various public and government services.
- To create awareness on Cost Management through value-based training modules emphasising effective utilisation and optimisation of available resources.
- To prepare manuals, guidance notes, concept paper etc. for submission and presentation to concerned stakeholders, policy and law makers.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Council of

The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Cost Accountants of India ('the Institute') which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2022, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies (hereinafter referred to as 'financial statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, *except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph*, the accompanying financial statements prepared in all material respects in accordance with the Cost and Works Accountants Act, 1959, give a true and fair view of the financial position of the Institute as at 31st March, 2022, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Qualified Opinion

1. In respect of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor:
 - a) EIRC had entered into a rent agreement with SBI, Harish Mukherjee Road Branch located in the ground floor of the EIRC building, for a period of 5 years with effect from 01.04.2019. Consequently, EIRC, during the year had raised invoices as well as collected rent for the period from April, 2021 to August, 2021 @Rs. 1,60,000/- p.m. Later on, in accordance with the letter issued by the 'Secretary of the Institute', EIRC has neither raised any invoice against the rent nor collected any amount from SBI for the period from September, 2021 to March, 2022. Hence, there is an understatement of revenue to the tune of Rs. 11,20,000/-. Further, GST amount for the period from April, 2021 to August, 2021 has not been remitted by the SBI and the same has been shown as Trade Receivables. Furthermore, it is very much pertinent to note that the Secretary in the letter had termed the relevant agreement as "void ab initio" (Refer Note 8(iii) (b) of Notes to the financial statements).

- b) Out of total Trade Receivables, a sum of Rs. 10,57,185/- is more than three years old for which no provision has been made in the books.
 - c) Other Advances amounting to Rs. 13,07,101/- are lying in the books since long, for which no details are available.
 - d) An unidentified liability for expenses amounting to Rs. 74,28,100/- is lying in the books.
 - e) Employees contribution to PF amounting to Rs. 56,672/- is lying in the books since long.
2. The un- adopted financial statements of Northern India Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, has been considered for consolidation of Institute's financial statements.
 3. In respect of Northern India Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts:
 - a) Pending Confirmation, non-reconciliation and recovery of Money of NIRC Chapters amounting to Rs. 7,91,703/-, we are unable to ascertain the actual amount realizable and therefore, not in a position to comment upon the effect of the same on the financials of NIRC for the period under audit (Refer Note 8 (iv) (a) of Notes to the financial statements).
 - b) Balance Confirmations as on 31.03.2022 for accounts receivables and payables have not been received. Effect, if any, of the revelation on receipt of confirmations can not be commented upon at this stage. (Refer Note 8 (iv) (b) of Notes to the financial statements).
 - c) Non-provision of Rs. 1,26,171/- stated to be recoverable from HO on account of career counselling (Rs. 76,171/-) and advertisement (Rs. 50,000/-) as the same are unconfirmed & are doubtful of recovery pending since long. This has resulted in overstatement of income for Rs.1,26,171/- and overstatement of Current Assets (HO Recoverable) by the same amount. (Refer Note 8 (iv) (c) of Notes to the financial statements).
 4. There is an un-reconciled balance of Rs. 20,41,09,425/-(Net Credit) shown under 'Current Accounts with Regional Councils and Chapters (Refer Note 9 of Notes to the financial statements).

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes:

- a) In respect of Western India Regional Council (WIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts:
 - i) Claims Receivable from FDAPL of Rs. 67,30,000/- is disputed by the party, which is considered as fully recoverable by the Council. Similarly, Rs. 67,30,000/- Claims Suspense -FDAPL is appearing under Current Liabilities for which WIRC has received reminders from the party for payment. (Refer Note 8(ii) (a) of the Notes to the financial statements).
 - ii) In absence of actuarial valuation of gratuity liability by LIC as on 31.03.2022, provision for gratuity has been made on the basis of the actual payment made to LIC for premium and additional contribution on account of enhanced liability due to amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972. (Refer Note 8(ii) (c) of the Notes to the financial statements).
 - iii) Letters have been issued by WIRC for confirmation of account balances in respect of receivables, loan & advances and trade payables etc. to respective parties but balances are subject to confirmations. (Refer Note 8(ii) (d) of the Notes to financial statements).
- b) In respect of Northern India Regional Council (NIRC), as reported by the respective auditor and also apparent from notes to accounts: -
 - i) Attention is drawn towards TDS credit transferred to HO for earlier years from 2016-17 to 2020-21 amounting to Rs.13,25,640/- are unconfirmed and shown as recoverable from HO. (Refer Note 8 (iv) (d) of the Notes to the financial statements).

- ii) Attention is drawn to pending demands of TDS at Traces for Rs. 1,57,285/-, same are pending since long (Refer Note 8 (iv) (e) of the Notes to the financial statements).
- c) Capital Work in Progress (Old Balances): Rs. 4,99,78,350

The above represents old Capital Work-in-Progress balances (CWIP) in respect of which no further work has been carried out/undertaken by the Institute for a very long period of time (for more than 5 years). Details of such unmoved old CWIP balance as appearing in Headquarters' books is given as below:

Particulars	Amount (Rs.)	Remarks
Navi Mumbai Centre of Excellence	4,99,78,350	Last amount paid Rs. 5,24,750/- on 13.07.2016 & Rs. 22,400/- on 17.08.2016 to Gulraj Construction. However, litigation is pending before Bombay High Court vide Arbitration Petition (ST) 7232 of 2017.
TOTAL	4,99,78,350	

- d) The Institute has an old amount outstanding in 'Non-Specific Deposit of Rs. 4,99,664/- (Cr.) in Headquarters' books. The nature of the amount can not be ascertained. (Refer Note 10 of Notes to the financial statements)
- e) Year-end balances of trade receivables, loans & advances and trade payables etc. are subject to balance confirmations from respective parties (Refer Note 14 of Notes to the Financial statements).
- f) In respect of the following Chapters, Title Deeds/Lease Deeds of Freehold/Leasehold Land are yet to be transferred in the name of the "Institute": -

Nasik Ojhar, Nagpur, Indore Dewas, Bilaspur, Visakhapatnam, Bhopal, Bhilai, Lucknow, Kota, Serampur, Ranchi and Bhubaneswar.

Our opinion has not been modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Cost and Works Accountants Act, 1959 and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements of four Regional Councils (*including un-adopted financial statements of NIRC*) and ninety six Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 2,07,15,02,383/- and total revenue of Rs.3,37,91,965/- as considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of majority of these Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapter in terms of regulation 133 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the other auditors and Cost Accountants respectively.
- (b) The financial statements of one Chapter is unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Chapter based solely on such unaudited financial statements certified by the Management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements as certified by the Management is not material in the context of overall financial statements of the Institute.
- (c) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of seventeen Chapters, as no financial statements have been received from their end.
- (d) The financial statements for the year of the Institute includes seventy one chapters were audited by Cost Accountants.

Our opinion on the financial statements and our report on Other Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and Cost Accountants, as the case may be and the financial statements certified by the Management.

2. In respect of NIRC, as disclosed in the Notes to Accounts: -
 - a) Verification of fixed assets lying in Mandir Marg, Delhi was not possible due to dispute and matter was subjudice in Patiala House Court. No provision has been made regarding the fixed assets lying in Mandir Marg, Delhi premises except depreciation charged as per schedule for the impairment of these assets (Refer Note 8 (iv) (f) of Notes to the financial statements).
 - b) With effect from January 2012, ICWAI had converted to ICAI. No necessary steps have been taken since then despite of several reminders for change of name from ICWAI to ICAI (NIRC) in Fixed Deposits Records (Refer Note 8 (iv) (g) of Notes to the financial statements).
3. In respect of Jaipur Chapter, as reported by the Chapter Auditor, loans & advance of Rs. 14,353/- is lying still receivable from a Member on account of difference in the Air and Train fare not authorised by Headquarters for tour to Hyderabad for attending National Cost Convention in 2014-15.
4. Investments (Not held in the name of the Institute) –
 - a) Investments in Insolvency Professional Agency of ICAI include 6 shares of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of ICAI.
 - b) Investments in ICAI Registered Valuers Organisation include 1 share of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of ICAI.
5. The Property, Plant and Equipment of Head Quarters including Delhi Office have not been physically verified by the management during the year but as per the phased verification programme, the verification was carried

out in previous year and looking to the nature of assets and complexity in its physical count it is found reasonable.

6. In respect of Headquarters, Bank Reconciliation Statement of IDBI Disbursement A/C 1270102000001281 (Esplanade Branch) includes an amount of Rs. 7,28,416.04 as 'Credited In Next Month' without any break, up, as a balancing figure.
7. In respect of EIRC, as reported by the respective Auditors and also apparent from notes to accounts, TDS Receivables balance of Rs. 6,46,295/- as on 31.03.2022 is subject to through reconciliation with reference to physical TDS certificates as well as actual deposits to the Department from Income Tax Portal (Refer Note 8 (iv) (e) of Notes to the financial statements).
8. Other advances as per Headquarters' books include Rs. 1,36,097/- due from former council member owing to disallowances by MCA, Govt. of India and presently is sub judice (Refer Note 6 of Notes to the financial statements).

Report on Other Regulatory Requirements

Further to our comments in above mentioned paragraph, we report that:

- a. *Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph herein above, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit excepting few small Chapters;*
- b. *Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph herein above, in our opinion proper books of account as required by the Cost and Works Accountants Act, 1959, have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper Returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters read with paragraph 1 of 'Other Matters';*
- c. The reports on the financial statements of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the other auditors and Cost Accountants of the respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report.
- d. The Institute's Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For RAY& RAY

Chartered Accountants

(Firm's Registration No: 301072E)

Place: Kolkata,

Date: 11th September, 2022

(Asish Kumar Mukhopadhyay)

Partner

Membership No. 056359

(UDIN 22056359ASOTIH2700)

KAUSHIK BANNERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/292/2022-23]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA				
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022				
As At	PARTICULARS	Note	As At	
31st March 2021			31st March 2022	
Rs.			Rs.	Rs.
	<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
	<u>INSTITUTE FUND</u>			
3,528,660,115	General Fund	(1)		3,898,048,503
1,270,179	Employees' Gratuity Fund	(2)		1,296,391
11,935,319	Miscellaneous Prize Fund	(3)		12,419,397
50,457,717	Other Funds	(4)		50,358,461
385,611,482	Current Liabilities	(5)		660,397,676
16,381,951	Provisions	(6)		18,193,871
3,994,316,763	TOTAL			4,640,714,299
	<u>APPLICATION OF FUNDS</u>			
	<u>Non-Current Assets</u>			
629,876,902	a) Property, Plant and Equipment	(7)	638,602,275	638,602,275
1,156,523	b) Intangible Assets	(7)	877,286	877,286

64,400,406	Capital Work In Progress			61,647,997
111,151,147	Investments	(8)		111,151,147
	Current Assets			
9,215,300	Inventories	(9)	6,541,171	
127,600,355	Trade Receivables	(10)	146,562,241	
2,964,339,929	Cash and Cash Equivalents	(11)	3,623,496,715	
86,576,201	Loans and Advances	(12)	51,835,467	
				3,828,435,594
3,187,731,785				
3,994,316,763	TOTAL			4,640,714,299
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)		
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements				
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.				
For RAY & RAY				
Chartered Accountants				
Firm Regn. No.: 301072E				
	CMA Arnab Chakraborty		CMA Kaushik Banerjee	
	Director -Finance		Secretary	
ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY				
Partner				
Membership No.: 056359				
	CMA Vijender Sharma		CMA P Raju Iyer	
	Vice President		President	
Place: Kolkata				
Dated :				

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

For the Year ended 31st March 2021	PARTICULARS	Note	For the Year ended 31st March 2022
Rupees			Rupees
	INCOME :		
41,492,244	Membership and Other Fees	(13)	51,875,687
801,488,797	Tuition and Other Fees	(14)	1,317,886,952
157,093,010	Examination and Other Fees	(15)	183,470,371
2,586,999	C. P.D and Other Programme Fees		5,644,459
304,020	Journal Subscription incl. Advertisement		306,651
76,345	Sale of Publication		571,934
167,704,452	Interest		172,795,107
6,882,627	Other Income		5,510,701
1,177,628,494	TOTAL		1,738,061,862
	EXPENDITURE :		
295,083,924	Establishment Expenses	(16)	309,478,981
132,352,795	Office Expenses	(17)	126,731,451
1,842,372	Statutory Audit Fees (Note -7)		1,974,216
5,784,498	Travelling & Conveyance		9,610,735
89,625,246	Examination Expenses	(18)	298,326,542
10,455,464	Council and Committee Meeting Expenses		22,123,043
102,587	Election Expenses incl. Tribunal		-
8,003,945	Journal Expenses		9,708,968
9,180,183	Membership Subscription to Foreign Bodies		10,495,091
22,036	Conference & Meeting International		-
4,499,886	C. P.D, Technical Skill Development and Other Programme Expenses	(19)	11,016,662
2,738,377	Professional Development Expenses		4,601,916
239,669,959	Coaching Expenses		382,461,999
48,858,662	Study Materials and Prospectus Consumed		53,872,549
877,604	Publication Stock Consumed		762,568

865,573	Inventories and bad debts written off		4,638,467
-	Contribution to MBF		9,315,346
52,139,398	Depreciation and amortisation		48,848,828
25,799,000	Donation to PM Cares Fund		-
927,901,509	TOTAL		1,303,967,362
249,726,985	Balance being excess of Income over Expenditure		434,094,500
11,909,239	Prior Period Adjustments (Net)	(19A)	18,179,441
237,817,746	Balance being Surplus transferred to General Fund		415,915,059
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)	
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements			
This is the Statement of Income and Expenditure referred to in our report of even date. For RAY & RAY Chartered Accountants Firm Regn. No.: 301072E CMA Arnab Chakraborty Director - Finance CMA Kaushik Banerjee Secretary ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY Partner Membership No.: 056359 CMA Vijender Sharma Vice President CMA P Raju Iyer President Place: Kolkata Dated :			

<u>THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA</u> CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022			
For the year ended	PARTICULARSRS	For the year ended	For the year ended
R		R	R
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
237,817,746	SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	415,915,059	
	ADJUSTMENTS FOR:-		
52,139,398	DEPRECIATION AND AMORTISATION	48,848,828	
289,957,144	OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	464,763,887	
	ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES		
17,603,513	INCREASE/(DECREASE) IN CURRENT LIABILITIES	276,598,114	
(11,907,556)	(INCREASE)/DECREASE IN CURRENT ASSETS	18,452,977	
5,695,957		295,051,091	
295,653,101	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		759,814,978
B. CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES			
36,467,761	MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS	(5,693,727)	
(397)	DECREASE IN INVESTMENT		
36,467,364	NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		(5,693,727)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
(37,155,451)	MOVEMENT IN FUND BALANCE	(94,964,465)	
(37,155,451)	NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		(94,964,465)
294,965,014	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		659,156,786
2,669,374,915	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		2,964,339,929
2,964,339,929	CASH & CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE PERIOD		3,623,496,715

NOTES: -

i. The above Cash Flow Statement has been prepared under 'Indirect Method' as set out in Accounting standard, AS - 3 on "Cash Flow Statement".

1,213,3	Cash in hand	1,236,250
184,614,0	Bank Balance - Current Account	241,208,610
82,996,5	Bank Balance - Savings Account	110,758,360
2,695,515,9	Fixed Deposits	3,270,293,495
2,964,339,9		3,623,496,715

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

For **RAY & RAY**

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 301072E

CMA Arnab Chakraborty
Director -Finance

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

ASISH KUMAR MUKHOPADHYAY

Partner

Membership No. : 056359

CMA Vijender Sharma
Vice President

CMA P Raju Iyer
President

Place: Kolkata

Dated : -

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)
NOTE NO.1 : GENERAL FUND

As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
Rs.		Rs.
3,288,267,556	Balance as per last Accounts	3,528,660,115
	Add :	
6,001,602	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	-
3,294,269,158		3,528,660,115
3,294,269,158		3,528,660,115
6,001,602	Less- Adjustment for Hyderabad building	-
-	Less- Transferred to Members Benevolent Fund (Note- 11)	50,000,000
240,000	Less : Gratuity and leave encashment	-
2,814,813	Add : Entrance Fees (Member)	3,473,329
3,290,842,369		3,482,133,444
237,817,746	Add : Surplus for the year as per annexed Statement of Income and Expenditure	415,915,059
3,528,660,115		3,898,048,503

NOTE NO. 2 :
EMPLOYEES' GRATUITY FUND

As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
Rs.		Rs.
1,361,970	Balance as per last Account	1,270,179
1,885,132	Add : Contribution for the year	-
3,247,102		1,270,179
43,910	Add : Interest earned on Fixed Deposit during the year	26,212
2,005,763	Less : Amount Paid	-
15,070	Less : Transferred to gratuity fund during the year	-
1,270,179		1,296,391

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 3:****MISCELLANEOUS PRIZE FUND**

As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
Rs.		Rs.
10,590,087	Balance as per Previous Balance Sheet	11,935,319
1,096,918	Add : Addition during the year	50,532
306,653	Add : Income credited during the year	500,721
(58,339)	Less : Cost of the prize	(67,175)
11,935,319		12,419,397

NOTE NO. 4 :

other Fund

As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
Rs.		Rs.
545,277	Building Fund	3,648,862
3,459,322	Library Fund	1,037,929
46,453,118	Miscellaneous Fund	45,671,670
50,457,717		50,358,461

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO.5:****CURRENT LIABILITIES**

As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
Rs.		Rs.
3,253,256	Library Deposit	1,647,884
52,934,912	Trade Payables	63,862,927
155,530,383	Current Account with Regional Councils and Chapters	204,109,425
168,369,569	Other Liabilities	330,514,277
1,870	Payable to Members Benevolent Fund (Note- 11)	50,067,500
5,521,492	TDS Payable	10,195,663
385,611,482		660,397,676

NOTE NO.6:

Provisions

As At 31st March 2021	PARTICULARS	As At 31st March 2022
Rs.		Rs.
16,381,951	Provisions	18,193,871
16,381,951		18,193,871

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTE NO. 7:NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.2021	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment during the period	Total as on 31.03.2022	Upto 01.04.2021	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment during the year	Upto 31.03.2022	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
A. Property, Plant and Equipment :										
FREEHOLD LAND	160,793,820	37,771,668		198,565,488	-	-		-	198,565,488	160,793,820
LEASEHOLD LAND	64,763,988		(279,487)	64,484,501	9,685,956	832,057	-	10,518,013	53,966,488	55,078,032
FREEHOLD BUILDING	710,284,247	12,040,484	(261,310)	722,063,421	387,204,334	32,972,544	(189,526)	419,987,352	302,076,069	323,079,913
FURNITURE & FITTINGS	86,011,183	4,413,441		90,424,624	46,174,825	4,184,352	1,015,906	51,375,083	39,049,541	39,836,358
LIBRARY BOOKS	12,003,814	298,386		12,302,200	11,395,032	286,791	148,875	11,830,698	471,502	608,782
OFFICE EQUIPMENTS	95,777,866	3,329,831		99,107,697	62,574,297	5,390,798	942,446	68,907,541	30,200,156	33,203,569
GENERATORS	16,066,145		(7,582)	16,058,563	10,532,967	835,324	33,874	11,402,165	4,656,398	5,533,178
LIFT	14,163,133	5,316		14,168,449	9,284,154	732,644		10,016,798	4,151,651	4,878,979
MOTOR CAR	500,621		(3,682)	496,939	453,381	7,086	(3,682)	456,785	40,154	47,240
COMPUTER	62,206,806	3,471,873		65,678,679	55,389,775	3,124,584	1,739,492	60,253,851	5,424,828	6,817,031
CYCLE	8,368			8,368	8,368	-	-	8,368	-	-
TOTAL A	1,222,579,991	61,330,999	(552,061)	1,283,358,929	592,703,089	48,366,180	3,687,385	644,756,654	638,602,275	629,876,902
B. Intangible Assets :										
SOFTWARE	41,933,074	223,906		42,156,980	40,776,551	482,648	20,495	41,279,694	877,286	1,156,523
TOTAL B	41,933,074	223,906	-	42,156,980	40,776,551	482,648	20,495	41,279,694	877,286	1,156,523
Grand Total	1,264,513,065	61,554,905	(552,061)	1,325,515,909	633,479,640	48,848,828	3,707,880	686,036,348	639,479,561	631,033,425
Previous Year	1,253,766,691	13,547,704	(2,488,626)	1,264,513,065	586,813,742	52,139,398	(5,473,500)	633,479,640	631,033,425	
Capital-Work in Progress	64,400,406	7,388,134		10,140,543	61,647,997			61,647,997	64,400,406	

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 8:****INVESTMENTS (AT COST)****UNQUOTED**

As At 31st March 2021 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2022 Rs.
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
500	50 (Previous year 50) Shares of Rs.10/- each in Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai (earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
110,000,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI 1,10,00,000 (Previous year 1,10,00,000 Nos.) of paid up shares of Rs.10 each)	110,000,000
1,100,000	1,10,000 (Previous year 1,10,000) Investment in ICMA- Registered Valuers Organisation	1,100,000
50,647	- Others	50,647
111,151,147		111,151,147

NOTE NO. 9 :**INVENTORIES**

As At 31st March 2021 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2022 Rs.
2,648,183	- Publication Stock	2,131,267
5,765	- Paper Stock	-
5,079,538	- Study Material incl .Prospectus Stock	2,519,016
1,481,814	- Stock of Other Material	1,890,888
9,215,300		6,541,171

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)****NOTE NO. 10:****TRADE AND OTHER RECEIVABLES****(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At R	PARTICULARS RS	As At Rs	Rs
30,411,085	Trade Receivable		25,830,381
97,189,270	Other Receivables		120,731,860
127,600,355			146,562,241

NOTE NO. 11:**CASH AND CASH EQUIVALENTS**

As 31st March 2021 R	PARTICULARS RS	As 31st March 2022 R	Rs
	Cash and Cash Equivalents :		
1,213,355	Cash in hand		1,236,250
	Balances with Scheduled Banks :		
184,614,031	On Current Account		241,208,610

82,996,593	On Savings Account	110,758,360
2,695,515,950	Fixed Deposits with Banks	3,270,293,495
2,964,339,929		3,623,496,715

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE NO.12:

**LOANS AND ADVANCES
(UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At 31st March 2021 Rs.	PARTICULARS	As At 31st March 2022 Rs.
19,097,163	Other Advances	14,494,099
615,295	Festival Advance to Employees	434,903
40,525,592	TDS Receivable	28,600,815
20,225,669	Prepaid Expenses	1,699,384
6,112,482	Deposit	6,606,266
86,576,201		51,835,467

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS****(CONTD.)** NOTE NO.13:**MEMBERSHIP AND OTHER FEES :**

For the year ended R	PARTICULARS	For the year ended R
32,485,201	Annual Membership Fees	42,611,984
8,712,905	Members Certificate of Practice Fees	8,934,180
74,070	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	34,500
191,103	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	248,636
28,965	Certificate of Good Standing	46,387
41,492,24		51,875,687

NOTE NO.14:
TUITION AND OTHER FEES:

For the year ended Rs.	PARTICULARS	For the year ended Rs.
39,332,295	Student Registration Fees	24,962,200
240,000	Practical Training Registration Fees	2,548,750
4,225,000	Practical Training/Subject Exemption Fees	16,110,000
716,001,424	Tuition Fees	1,214,006,134

34,702,200	CAT Course Income	55,115,220
1,865,000	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	2,234,040
1,074,918	Sale of Prospectus	2,547,893
4,047,460	Sale of Study Notes	362,715
500	Sale of Postal Coaching, Revalidation and Denovo Forms	-
801,488,797		1,317,886,952

NOTE NO.15:

EXAMINATION AND OTHER FEES :

For the year ended	PARTICULARS	For the year ended
RS.		Rs.
157,093,010	Examination Fees	181,028,921
-	Verification of Answers Paper Fees	2,441,450
157,093,010		183,470,371

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.) NOTE**

NO.16:

ESTABLISHMENT EXPENSES

For the year ended 31st March 2021	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2022
Rs.		Rs.
252,018,346	Salaries and Allowances	263,865,987
3,288,945	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	5,222,872
23,858,818	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	23,191,309
1,600	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	1,692
2,214,569	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	4,614,778
3,309,753	Employees' Leave Encashment - Existing	2,672,212
7,444,220	Medical Expenses	7,357,032
519,767	Leave Travel Allowance to Employees	601,693
1,371,347	RPFC Administration and E.D.L.I. Inspection Charges	1,643,425
1,056,559	Training and Development (H.R.D.)	307,981
295,083,924		309,478,981

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE NO.17 :

OFFICE EXPENSES

For the year ended 31st March 2021	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2022
Rs.		Rs.
5,208,198	Printing & Stationery	5,916,138
6,613,269	Postage, Telegrams, Telephones and Fax	6,064,355

1,370,599	Internal Audit Fees	1,849,910
6,211,070	Electricity Charges	7,773,294
108,920	Generator Expenses	309,757
1,589,984	Rates and Taxes	2,865,168
461,739	Insurance	320,933
9,295,187	Repair and Maintenance	14,049,949
940,310	Car Expenses	1,041,444
7,820	Interest on Caution Money Deposit	8,530
12,023,159	Legal Charges	9,895,898
325,730	Bank Charges	563,268
9,513,470	Computer Maintenance Expenses	5,707,808
1,652,660	Public Relation Expenses	2,107,604
3,130,829	Watch and Ward Expenses	3,305,567
403,552	Books and Periodicals	446,685
1,287	Delegate Fee	54,979
456,500	Gazette Notification	180,000
1,272,468	Staff Welfare	1,747,931
8,386,325	Rent	8,060,329
57,588,032	Administrative Charges	49,142,746
5,791,687	Sundry Expenses	5,319,158
132,352,795		126,731,451

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.) NOTE

NO.18 :

EXAMINATION EXPENSES

For the year ended 31st March 2021	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2022
Rs.		Rs.
14,984,419	Examination Expenses	11,066,016
25,903,246	Examiners' Remuneration	38,375,930
47,202,834	Examination Center Expenses	246,666,852
1,319,302	Examination Expenses for oral coaching Students	828,746
215,445	Prize & Prize Distribution Expenses	1,388,998
89,625,246		298,326,542

NOTE NO.19 :

CPD PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL

For the year ended 31st March 2021	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2022
Rs.		Rs.
290,574	CPD Expenses	161,847

186,517	Project Expenses	-
100,000	National Award including Best Chapter Award	151,898
560,485	Regional Cost / National Convention Expenses	3,618,192
2,699,977	CPD Expenses - RC's/Chapters	5,401,208
662,333	Technical Skill Development	1,683,517
4,499,886		11,016,662

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.) NOTE

NO. 19A :

PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

For the year ended	PARTICULARS	For the year ended
31st March 2021		31st March 2022
Rs.		
	Prior Period Income	
-	HQ	123,930
117,281	EIRC	327,026
-	NIRC	455,528
233,760	Chapters of WIRC	329,000
218,900	Chapters of SIRC	179,671
370,150	Chapters of NIRC	62,163
940,091	Total (A)	1,477,318
	Prior Period Expenses	
12,313,836	HQ	9,483,394
81,521	WIRC	7,613,745
97,622	EIRC	3,100
163,014	NIRC	992,910
68,237	Chapters of WIRC	1,383,484
163,100	Chapters of SIRC	141,679
-	Chapters of EIRC	17,733
(38,000)	Chapters of NIRC	20,714
12,849,330	Total (B)	19,656,759
11,909,239	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET) (A-B)	18,179,441

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE - 20

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis for preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the applicable Accounting Standards and the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended. The financial statements are prepared as going concern, under the historical cost convention and on accrual basis unless otherwise stated.

Basis of Consolidation

The financial statements of Head Quarter (Kolkata), New Delhi Office, its Regional Councils and Chapters are consolidated line by line by adding together the like items of assets and liabilities, income and expenses after

eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/(deficit). Necessary adjustments are made wherever required.

Use of Estimates

The preparation of the financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialized.

Revenue Recognition

Entrance Fee

Entrance Fee received from members is credited to General Fund.

Registration Fee

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

Revenue Recognition

The Institute recognizes significant items of income on the following basis: -

a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

b) Tuition and other Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled.

c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

f) Interest

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount accrued and at applicable rate.

g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the same is established.

Expenditure

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

- i. The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.
- ii. Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

Intangible Assets

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any.

Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)**Depreciation/Amortization**

- (a) Depreciation on Property, plant and equipment and amortization of Intangible Assets is provided/made on Written Down Value Method at the rates prescribed as per Income Tax Act.1961.
- (b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized on straight line basis over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.
- (c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase excepting in case of NIRC, the same has been depreciated @ 100%

Investments

Long term investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

Inventories

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- i) A provision is recognized: -
 - (a) when there is present obligation as a result of past event;
 - (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
 - (c) a reliable estimate can be made of the amount of obligation.
- ii) No provision is recognized for:
 - (a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

- (b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary

items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

Employee Benefitsi. Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

ii. Post employment benefit

Post-Employment benefit such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. have been provided for as applicable to Head Quarter, Regional Councils and Chapters.

Impairment of Assets

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

Taxes on Income

The Institute has granted exemption from Income Tax under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961, as such no provision for Income tax has been made and no provision for deferred tax liability/assets is considered necessary

Prior Period income/expenditure

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

NOTE – 20 (CONTD.)**B. NOTES TO ACCOUNTS**

1. The consolidated financial statements of the Institute are prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi Office, Four Regional Councils and Ninety-Six Chapters out of which one financial statements is unaudited viz. Nayanangal.

Financial statements of Seventeen Chapters namely, Indore Dewas, Jabalpur, Vindhyanagar, Singrauli, Neyveli, Warangal, Sathavahana, Ghaziabad, Gurgoan, Jammu, Agartala, Bokaro, Jajpur Keonjhar, Jamshedpur, Naihati, Sambalpur, and Balasore are not included in consolidated financial statements during current year, having not been received. However, previous year's figures of the consolidated financial statements include the previous year's figures of these chapters (Refer – Annexure I).

2. **A. Contingent Liability (to the extent not provided for)**

- a) As per policy, medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.

As on 31st March 2022, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs. 24,93,247/- (Previous Year Rs. 45,61,466/-).

- b) There is a legal suit filed by ex-contractual employees against EIRC sometime in the year 2014, which is still pending. Status has not been changed during the year. Necessary effect, if any, will be provided for in the accounts after the final outcome of the case.
- c) The Service Tax demand of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) along with applicable interest penalty of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of Rs.37,62,657/- (Previous Year Rs.37,62,657/-) being 7.5% of the demand has been paid and shown under the head "Loans and Advances".
- d) In respect of NIRC, two cases bearing numbers I.D. No. 122/2021 and ID no. 123/2021 are pending before CGIT-CUM-LABOUR COURT-II, New Delhi. Contingent liabilities not provided for the cases filed, as these cases are at various stages of adjudication hence related amount of contingent liabilities undeterminable at the end of the financial year under audit.
- e) In respect of Cochin Chapter:
 - i) There was a Sub Court Order demanding a sum of Rs. 19,38,785/- (Previous Year Rs.19,38,785/-) towards damage of building of neighborhood due to construction work carried out by CFE. Chapter has

filed an appeal in the District Court of Ernakulum and obtained stay petition on furnishing Bank Guarantee for a sum of Rs. 15,00,000/-, pending final decision.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

- ii) In respect of works contracts amounting to Rs. 75,80,762/-,(Previous Year Rs.75,80,762/-) the Form 1EE (Exemption Form) has not been obtained from contractors by the Chapter. The works contract tax liability on the above due to non-collection of such Forms from works contractors will be Rs. 6,06,461/- plus interest, which has not been provided for in the accounts.

B. Capital Commitment (to the extent not provided for)

Estimated amount of contract (net of advances) remaining to be executed on capital account and not provided for amounting to Rs 12,11,250/- (Previous year – Rs 12,11,250/-)

3. Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961 which is subject to renewal as per the new provisions of the Finance Act, as such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.
4. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investments in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by the different donors.
5. Fixed Deposits of Rs 327,02,93,495/- (Previous Year Rs.269,55,15,950/-) includes Rs. 58,65,351/- (Previous Year Rs.57,79,142/-) for Misc. prize and other fund respectively.
6. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (Previous Year Rs.1,36,097/-) due from former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
7. Statutory Audit Fees includes: -

Auditors' Remuneration

Statutory Audit Fees (inclusive of GST) Rs. 5,42,269/- (Previous year Rs. 5,06,869 /-)

8. (i) **Head Quarters**
 - a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.
 - b) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LIC against the Group Gratuity Policy.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20(CONTD.)

- c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LIC.

(ii). WIRC

- a. Claims receivable from FDAPL of Rs.67,30,000/- (Previous year Rs 67,30,000/-) is disputed by the party. Similarly, Rs. 67,30,000/- Claims Suspense – FDAPL includes an amount of Rs. 60,02,000/- balance invoices payable to FDAPL. WIRC has received reminders from the party for the payment of dues and request for appointment of arbitrator.
- b. The amount of Provisions for recoverable of Rs. 4,20,707/- (Previous year Rs 4,20,000/-) as appearing in Schedule C – Current Liabilities will be written back on being approved by the AGM since not payable.
- c. The council has adopted a Group Gratuity Scheme with LIC of India; however, in absence of actuarial valuation of gratuity liability by LIC of India as on 31/03/2021, the actual payment of the premium and the additional contribution on account of enhanced liability due to amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972 have been accounted as gratuity provision.
- d. Letters have been issued by WIRC for confirmation of accounts balances in respect of receivables, loans & advances and Trade payables to the respective agencies and balance are subject to confirmation.

(iii) **EIRC**

- a) EIRC has received monthly rent from SBI as per lease agreement @ Rs 1,60,000/- p.m. EIRC had also raised GST bill on SBI, however no GST has been collected from SBI. As per lease agreement rent is exclusive of applicable GST.
- b) The Institute of Cost Accountants of India, Eastern India Regional Council (EIRC) had entered into a rent agreement with SBI, Harish Mukherjee Road branch located in the ground floor of the EIRC building for the period beginning from 1st April, 2019 to 31st March, 2024. Consequently, EIRC had raised invoices as well as collected rent for the period beginning from April 2021 to August 2021 @ INR 1,60,000/- p.m. in accordance with the letter issued by the Secretary of the Institute (Secretary of the Council), EIRC neither raised any invoice against the rent nor collected any amount from SBI from the period beginning from September, 2021 to March 2022. Hence there is an understatement of revenue to the tune of INR 11,20,000/-. Further, GST amount for the period beginning from April 2021 to August 2021 has not been remitted by the SBI and the same has been shown in Sundry Debtors Account. It is

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

pertinent to note that the Secretary in the letter had termed the relevant agreement as “void ab initio”.

- c) In TDS Receivable account balance of Rs. 6,46,295/- is appearing as on 31.03.2022. This would be thoroughly reconciled with reference to the physical TDS certificates as well as actual deposits to the department in the name of the Institute from Income Tax Portal.
- d) In terms of the orders dated 27th May 2015 passed by the Dr. A.S. Durgaprasad, Presiding officer of the Disciplinary Committee, in complaint no. Com/21-

CWA (9) 2010, the following orders were imposed against a member in terms of Sec 21B (3), the CWA Act, 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Work Accountants (Procedure of Investigations of Professional & Other misconduct and conduct of Cases), Rules 2007.

- a. “Reprimanding the Member
- b. Repayment of the entire amount of Rs 61,461.00/- only to EIRC of Institute plus equivalent amount as fine to be paid within 30 days of service of the order and
- c. Removal of the name from the Register of member for period of one year from date of the service of the order”

Accordingly, Rs 1,22,922.00 was recoverable from the concerned person.

An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost Accountants of India and the said appellant authority by virtue of Order date 09.04.2018 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub. Section (2) of Section 22E of the Cost and Work Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for undertaking the aforesaid proceedings for the purpose as mentioned under Para (12) of the order 09.04.2018 and to pass a fresh Order.

(iv) **NIRC:**

- a. Pending Confirmation, non-reconciliation and recovery of Money of NIRC Chapters amounting to Rs. 7,91,703/-, we are unable to ascertain the actual amount realizable and therefore, not in a position to comment upon the effect of the same on the financials of NIRC for the period under audit
- b. Balance Confirmations as on 31.03.2022 for accounts receivables and payables have not been received. Effect, if any, of the revelation on receipt of confirmations cannot be commented upon at this stage.

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

- c. Non-provision of Rs. 1,26,171/- stated to be recoverable from HO on account of career counseling (Rs. 76,171/-) and advertisement (Rs. 50,000/-) as the same are unconfirmed & are

doubtful of recovery pending since long. This has resulted in overstatement of income for Rs.1,26,171/- and overstatement of Current Assets (HO Recoverable) by the same amount.

- d. TDS credit transferred to HO for earlier years from 2016-17 to 2020-21 amounting to Rs.13,25,640/- are unconfirmed and shown as recoverable from HO.
- e. As per online dues status verified, the NIRC has the outstanding TDS demand of Rs.1,57, 285/- .Since the Northern India Regional Council is following up the matter with Income Tax authorities, no provision has been made in the books in respect of penal interest that may become payable as such demands may not stand valid as same needs rectifications and follow up with the Income Tax department, details of the outstanding demand of TDS for necessary correction/rectification areas below:

SL. NO.	YEAR	DEMAND OUTSTANDING
1	2021-22	6400/-
2	2020-21	6,050/-
3	2019-20	17,740/-
4	2018-19	23,825/-
5	2012-13	35,663/-
6	2009-10	12,607/-
7	2008-09	43,160/-
8	2007-08	17,420/-
	Total	1,57,285/-

- f. With effect from January 2012, The ICWAI had converted to ICAI. No necessary steps have been taken since then despite of several reminders for change of name from ICWAI to ICAI (NIRC) IN Fixed Deposits Records
 - g. Verification of fixed assets lying in Mandir Marg, Delhi was not possible due to dispute and matter was subjudice in Patiala House Court. No provision has been made regarding the fixed assets lying in Mandir Marg, Delhi premises except depreciation charged as per schedule for the impairment of these assets.
9. There is an un reconciled balance of Rs. 20,41,09,425/- (Net Credit) shown under Current Accounts with Regional Councils and Chapters.
 10. The Institute has an old amount outstanding in Non-Specific Deposit of Rs.4,99,664/-(Cr.). The nature of the amount cannot be ascertained

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

11. The Council at its 336th meeting held on 20th May, 2022 at Headquarters approved the transfer of Rs 5,00,00,000/- to 'Members Benevolent Fund 'from surplus of FY 2021-22 as recommended by the Finance Committee and Executive Committee.
12. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of financial statements.
13. Based on the available information with the Institute as at 31st March, 2022, there is no amount including Interest thereon payable to Micro Enterprises and small Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006", as amended.
14. The year-end balances of trade receivables, trade payables, loans and advances etc. are subject to balance confirmations from respective parties

15. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's classification/disclosure.

Signatures to Notes 1 to 20

CMA Arnab Chakraborty
Director - Finance
CMA Vijender Sharma
Vice President

CMA Kaushik Banerjee
Secretary
CMA P Raju Iyer
President

Place: Kolkata

Date:

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)

NOTE – 20 (CONTD.)

ANNEXURE-I (Refer Note 1 of Notes to Accounts)

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2021-22			
WESTERN REGION			SOUTHERN REGION
SL.NO.	NAMES	SL.NO.	NAMES
1	WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Ahmedabad Chapter of ICAI	2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI	3	Cochin Chapter of ICAI
4	Baroda Chapter of ICAI	4	Coimbatore Chapter of ICAI
5	Bhilai Chapter of ICAI	5	Erode Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI	6	Godavari Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI	7	Hyderabad Chapter of ICAI
8	Goa Chapter of ICAI	8	Kottayam Chapter of ICAI
9	Indore-Dewas Chapter of ICAI #	9	Madurai Chapter of ICAI
10	Jabalpur Chapter of ICAI #	10	Mangalore Chapter of ICAI
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI	11	Mettur-Salem Chapter of ICAI
12	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI	12	Mysore Chapter of ICAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI	13	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
14	Nagpur Chapter of ICAI	14	Nellore Chapter of ICAI
15	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI	15	Neyvelli Chapter of ICAI #
16	Navi Mumbai Chapter of ICAI	16	Palakkad Chapter of ICAI
17	Pimpri-Chinchwad-Akurdi Chapter of ICAI	17	Pondicherry Chapter of ICAI
	Pune Chapter of ICAI		Ranipet-Vellore Chapter of

18		18	ICAI
19	Raipur Chapter of ICAI	19	Thrissur Chapter of ICAI
20	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI	20	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
21	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI	21	Trivandrum Chapter of ICAI
22	Vindhyanager Chapter of ICAI #	22	Ukkunagaram Chapter of ICAI
23	Solapur Chapter of ICAI	23	Vijayawada Chapter of ICAI
24	Bharuch Ankleshwar Chapter of ICAI	24	Visakhapatnam Chapter of ICAI
25	Singrauli Chapter #	25	Hosur Chapter
		26	Kozhikode Malappuram
		27	Warangal (28.09.2021) #
		28	Sathavahana (28.09.2021) #
		29	Tirupati (07.04.2021)
		30	Dindigul

<u>EASTERN REGION</u>			<u>NORTHERN REGION</u>
SL.NO.	NAMES	SL.NO.	NAMES
1	EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1	NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Agartala Chapter of ICAI #	2	Agra-Mathure Chapter of ICAI
3	Asansol Chapter of ICAI	3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Bokaro Steel City Chapter of ICAI #	4	Allahabad Chapter of ICAI
5	Bhubaneswar Chapter of ICAI	5	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter of ICAI	6	Dehradun Chapter of ICAI
7	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI	7	Faridabad Chapter of ICAI
8	Durgapur Chapter of ICAI	8	Ghaziabad Chapter of ICAI #
9	Guwahati Chapter of ICAI	9	Gorakhpur Chapter of ICAI
10	Hazaribag Chapter of ICAI	10	Gurgaon Chapter of ICAI #
11	Howrah Chapter of ICAI	11	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12	Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI #	12	Jaipur Chapter of ICAI
13	Jamshedpur Chapter of ICAI #	13	Jalandhar Chapter of ICAI
14	Kharagpur Chapter of ICAI	14	Jammu Chapter of ICAI #
15	Naihati-Ichapur Chapter of ICAI #	15	Jhansi Chapter of ICAI
16	Patna Chapter of ICAI	16	Jodhpur Chapter of ICAI
17	Rajpur Chapter of ICAI	17	Kanpur Chapter of ICAI
18	Ranchi Chapter of ICAI	18	Kota Chapter of ICAI
19	Rourkela Chapter of ICAI	19	Lucknow Chapter of ICAI
20	Sambalpur Chapter of ICAI #	20	Ludhina Chapter of ICAI
21	Serampore Chapter of ICAI	21	Naya Nangal Chapter of ICAI
22	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI	22	Noida Chapter of ICAI

23	South Orissa Chapter of ICAI	23	Patiala Chapter of ICAI
24	Talcher-Angul Chapter of ICAI	24	Udaipur Chapter of ICAI
25	Dhuliajan Chapter of ICAI	25	Bikaner Jhunjhunu Chapter of ICAI
26	Chandrapura Chapter	26	Karnel Panipet Chapter of ICAI
27	Bankura Chapter of ICAI	27	Sonipet Chapter of ICAI
28	Balasore Chapter of ICAI #	28	Srinagar Chapter of ICAI
29	Patna Sheb Chapter of ICAI	29	Meerut Chapter of ICAI
30	Muzaffarpur Chapter of ICAI	30	Saharanpur Chapter of ICAI
		31	Bewar Chapter of ICAI
		32	Shimla

Not included during current year, as the financial statements have not been received